# कुरुक्षेत्र

नवम्बर 1983 मूल्य : 1 रु०

अनाज को बोरों में भरा जा रहा है

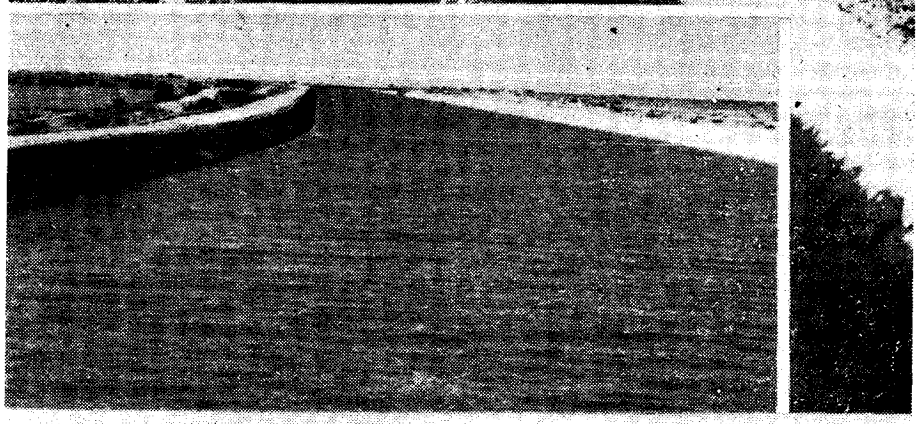

राजस्थान नहर परियोजना
तीन अवस्थाओं में

भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 1963 से 1983 तक 51 विकास परियोजनाओं तथा 13 आपातकालीन कार्यों में 57 करोड़ 50 लाख अमरीकी डालर से भी अधिक मूल्य की सहायता प्रदान की हैं। इनमें से 39 विकास परियोजनाएं और समस्त आपातकालीन योजनाएं पूरी हो चुकी है। ऐसे कार्यों में से जिन पर कार्य चल रहा है, प्रमुख है राष्ट्रव्यापी अनुपूरक पोषण कार्यक्रम राजस्थान नहर परियोजना तथा डेयरी विकास परियोजना। राजस्थान नहर परियोजना (निर्माण अवस्था में) 12 करोड़ श्रम दिवसों के बराबर रोजगार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, पूर्ण होने पर 30 लाख एकड़ मरुभूमि की सिंचाई करेगी।

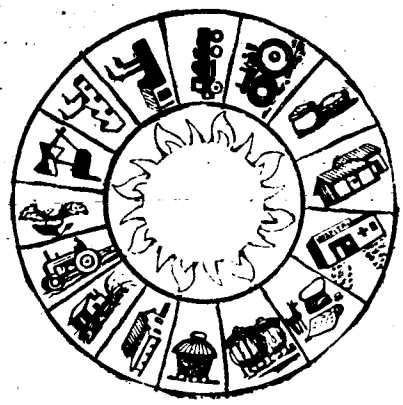

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : **सम्पादक, कुरुक्षेत्र** (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

**एक प्रति : 1 रु०, वार्षिक चन्दा : 10 रु०**


**व्यापार व्यवस्थापक : लेख राज बत्रा**

**सहायक व्यापार व्यवस्थापक :**
**देवकी नन्दन त्रेहन**

**सहायक निदेशक (उत्पादन) :**
**के० आर० कृष्णन**

**दूरभाष : 382406**

**सम्पादक** : श्रीमती सुमन शर्मा

**उपसम्पादक** : राधे लाल

**आवरण पृष्ठ** : मेघजी परमार


# कुरुक्षेत्र

**ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक**


**वर्ष 29** **कार्तिक–अग्रहायण 1905** **अंक 1**


**इस अंक में** **पृष्ठ संख्या**


विकास के लिए खाद्यान्न 2
मधुमिता मजूमदार

बड़ी कामकाजी है जाड़े की धूप मेरे गांव की (कविता) 4
**डा० रामजी मिश्र**

गोबर गैस संयंत्र लगाइए 5
**लेखराम चौहान 'हिमाचली'**

डेयरी विकास 6
**राजेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं गंगाशरण सैनी**

जीवन बीमा गांवों की ओर–उपलब्धियां एवं चुनौतियां 9
**राजकुमार**

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम––मासिक सार 12

विश्व खाद्य कार्यक्रम 14

स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन की ओर मणिपुर के गांव 16

बाल पोषण 17
**डा० शशि प्रभा गुप्ता**

प्राचीन भारत में पंचायत 20
**मदन गोपाल शर्मा**

वृक्षारोपण (कविता) 21
**सरोज खन्ना**

रक्तदान (कहानी) 22
**महाराज**

बन्धक श्रम समस्या 24
**नरेश चन्द्र त्रिपाठी**

संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिन्दी : कुछ विचार 26
**नरेन्द्र सिन्हा**

नीम : ग्रामीणों का हकीम 28
**डा० भैरूं लाल गर्ग**

गुणकारी तुलसी 29
**हेमन्त कुमार पाराशर**

**केन्द्र के समाचार** 30

युवकों ने गांव की काया पलटी 32

आवरण पृष्ठ


आत्मनिर्भता की ओर

# विकास के लिए खाद्यान्न

मधुमिता मजूमदार

विकसित तथा विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में बड़ी संख्या में लोगों को खाद्यान्न के रूप में सहायता से दान की गन्ध आती है । दान देने वाले के लिए एक औदार्य का अनुभव बेशक हो सकता है किन्तु दान लेने वाले में इससे हीनता की भावना उत्पन्न होती है । उदाहरण के लिए किसी भिखारी को जिन्दा रखने के लिए भिक्षा दी जा सकती है किन्तु उसके लिए उसे मूल्य के रूप में स्वाभिमान की बलि देनी है । इसके अलावा रोटी का एक टुकड़ा उस भिखारी को अपने पांवों पर खड़ा करने या समाज का एक सम्माननीय उत्पादक सदस्य बना सकने में कोई सहायता नहीं देता ।

किन्तु पिछले 20 वर्षों में विश्व खाद्य कार्यक्रम खाद्यान्न देने वाले राष्ट्रों मुख्यतः यूरोप, तथा अमरीका के सम्पन्न देशों से प्राप्त खाद्यान्नों का विकासशील देशों के विकास में सहायता हेतु रचनात्मक उपयोग कर रहा है । उन देशों के लिए जिनकी आय कम है तथा जो खाद्यान्नों के मामले में अभावग्रस्त हैं, इसकी विशेष उपादेयता है। इसके पीछे इस बात की अनुभूति है कि जब तक सबसे गरीब देश अपने पांवों पर खड़े होने में समर्थ नहीं होते तब तक विश्व समग्र रूप में प्रगति नहीं कर सकता ।

वर्ष 1983 में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा खाद्य और कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) ने संयुक्त रूप से विश्व खाद्य कार्यक्रम शुरू किया । इसका प्राथमिक उद्देश्य शुरू-शुरू में तीन वर्ष के लिए विकासशील देशों की सरकारों को सहायता देना था । सहायता के मूल्य का लक्ष्य था 10 करोड़ डालर । इस प्रयोग की सफलता का परिणाम यह निकला कि विश्व खाद्य कार्यक्रम अब, जब तक इसकी व्यवहार्यता तथा आवश्यकता बनी रहेगी, तब तक जारी रहेगा । निःसन्देह अब यह विश्व बैंक समूह के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में सहायता का सबसे बड़ा स्रोत है ।

पिछले दो दशकों में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 1,200 विकास परियोजनाओं तथा 600 मनुष्यजनित तथा प्राकृतिक विपदाओं में 6 अरब अमरीकी डालर के बराबर मूल्य की सहायता प्रदान की है।

आज विश्व खाद्य कार्यक्रम समस्त अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य सहायता के 20 प्रतिशत की देख-रेख करता है। प्रत्येक दो वर्ष बाद खाद्य सहायता नीतियों तथा कार्यक्रमों सम्बन्धी समिति (सी० एफ० ए०) जो विश्व खाद्य कार्यक्रम की प्रशासनिक संस्था है, आने वाले दो वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है। इसके बाद एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें सहायता देने वाले देश खाद्य वस्तुओं तथा धन के रूप में सहायता की एक निश्चित मात्रा उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन देते हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता के रूप में दिए गए अनाज तथा अन्य खाद्य उत्पादन जहाजों द्वारा प्राप्त-कर्ता देशों तक पहुंच जाएं, ये सहायता देने वाले देश योगदान का आश्वासन देते हैं ।

तो भी इस वर्ष के मई के मध्य में 1983-84 की दो वर्ष की अवधि के लिए 1.2 अरब के निर्धारित लक्ष्य के 83 प्रतिशत के बराबर ही आश्वासन प्राप्त हुए । वर्ष 1985-86 के काल के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम का अपने चालू संसाधनों के लिए एक अरब 35 करोड़ डालर का लक्ष्य है ।

यह एक विलक्षण मानसिकता ही है जो सम्पन्न राष्ट्रों को खाद्य उत्पादों के रूप में संसाधन विहीन राष्ट्रों को सहायता देने के बजाय अपने उत्पादन को कम करने के लिए प्रेरित करती है । निःसंदेह ऐसे देश जो अपने सहायता कार्यक्रम को जारी नहीं रख सकते वे भी विश्व खाद्य कार्यक्रम में छोटे स्तर पर योगदान दे सकते हैं । यहां तक कि सहायता प्राप्त करने वाले देश भी, जैसे भारत पाकिस्तान, क्यूबा, घाना तथा बोटस्वाना ने अपने से गरीब देशों के लाभ के लिए विभिन्न उत्पाद जैसे चावल, सूखी मछली, कोको (कहवा) तथा डिब्बा बन्द मांस प्रदान किए हैं ।

अन्तर्निहित बाधाओं को देखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यद्यपि विकाशसील देशों की खाद्य आवश्यकताएं बढ़ गई हैं तथा अनाज सहायता की मात्रा निरन्तर स्थिर हो रही है, यह बात अत्यन्त प्रशंसनीय है कि वर्ष 1982 में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 33 देशों में नई परियोजनाओं के लिए 6 करोड़ 30 लाख डालर प्रदान किए तथा मनुष्य-जनित एवं प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए एक करोड़ 42 लाख डालर की धन राशि अलग से खर्च की ।

वर्ष 1982 में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने करीब 20 लाख टन खाद्यान्न विश्व के चारों कोनों में पहुंचाया । इसके लिए जहाज, रेलगाड़ियों और पानी तथा सड़क पर चलने वाले वाहनों का प्रयोग किया गया । 1700 से भी अधिक व्यापारिक पोतों तथा चार्टर पोतों का प्रयोग किया गया । जहां भी सम्भव हो सका विश्व खाद्य कार्यक्रम ने विकासशील देशों के

वास्तविक स्वामित्व वाले क्षेत्रों का ही इस्तेमाल किया। जहाज को चार्टर करने से लागत में कमी आ जाती है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का प्रशासनिक खर्च पहुंचाए गए खाद्यान्न की कुल लागत का केवल 6 प्रतिशत ही था।

राष्ट्रीय सरकारें सभी कार्यक्रमों पर विचार करती हैं किन्तु अपने क्षेत्र — कार्यकर्ताओं की सहायता से विश्व खाद्य कार्यक्रम ही इन कार्यक्रमों की प्रगति पर नजर रखता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना कुशलतापूर्वक तथा समयानुसार चलाई जाएं। यद्यपि इसके पास अपने तकनीकी कर्मचारी अधिक नहीं हैं, यह संयुक्त राष्ट्र तथा उसकी एजेंसियों जैसे खाद्य एवं कृषि संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि के सहयोग से उनकी सुविज्ञता का उपयोग कर सरकारों को अन्य संस्थाओं जैसे विश्व बैंक आदि से अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने में सहायता करता है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम सरकारों को विद्यालयों में पोषण सम्बन्धी परियोजनाओं को चलाने में भी सहायता करता है। यमन गणतन्त्र में बंजारा बेडोइन जन-जातियों के बच्चे पहले बहुत कम शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। अब विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त बहुमूल्य सहायता के बल पर यमन की सरकार इन के लिए छात्रावास विद्यालय खोल रही है। फिलीपीन में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने विद्यार्थियों के भोजन खर्च में कमी करने में सहायता दी है। इसका परिणाम यह हुआ कि अब सरकार विद्यार्थियों को और अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान कर सकती है।

मिस्र में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की सहायता से आस्वान बांध के श्रमिकों को जिनकी संख्या 82,000 से भी अधिक थी, मजदूरी देने में सहायता मिली। इस बांध ने बंजर भूमि को हरी-भरी कृषि भूमि में बदल दिया है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम कई देशों की सरकारों को प्रवजन तथा आवास कार्यक्रमों में सहायता करता है। इण्डोनेशिया में अकेली एक परियोजना ही 20,000 से भी अधिक परिवारों को घने बसे इलाकों से निकाल कर नए स्थानों में बसाने में सहायता कर रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम इन लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रहा है जो उन्हें स्व-पुनर्वास तथा स्थाई तौर पर वैज्ञानिक कृषि तकनीकें अपनाने में सहायक होगी।

पूर्वी तुर्की में एक वानिकी (फारेस्ट्री) परियोजना में कृषकों को ऐसे तरीके सिखाने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता ली गई जो पर्यावरण के अनुकूल हों। सीरिया में 3,000 महिलाओं ने दस्तकारी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है जिससे उनकी आय बढ़ी है। चीन में भी विस्थापित व्यक्तियों को राज्य कृषि फार्मों में पुनर्वासित किया गया है। इस कार्य में चार विभिन्न परियोजनाओं में विश्व खाद्य कार्यक्रम आपातकालीन कोष से सहायता प्राप्त की गई।

गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए खाद्यान्न कार्यक्रम आम तौर पर पोषण सम्बन्धी शिक्षा के साथ मिलाकर चलाया जाता है, जैसा कि बंगला देश में किया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा सहायता देने वाले देश सहायता प्राप्त करने वाले देश को उसकी महत्वाकांक्षी जल बिकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में भी सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस समय यह जल योजना ऐसे 10 लाख लोगों को पूरे समय का रोजगार प्रदान कर रही है जो पहले या तो बेरोजगार थे अथवा मौसमी श्रमिक थे। कार्यक्रम को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए भी विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं।

भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने वर्ष 1963 से वर्ष 1983 के बीच की अवधि में 51 विकास परियोजनाओं तथा 13 आपात्तकालीन कार्यों में 57 करोड़ 50 लाख अमरीकी डालर से भी अधिक मूल्य तक की सहायता प्रदान की है। इनमें से 39 विकास परियोजनाओं तथा समस्त आपातकालीन योजनाएं, जिनमें 33 करोड़ 30 लाख डालर से भी अधिक खर्च हुआ, पूरी हो चुकी है। ऐसे कार्यों में से जिन पर कार्य चल रहा है, प्रमुख हैं राष्ट्रव्यापी अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एस० एन० पी०) राजस्थान नहर परियोजना तथा डेयरी विकास परियोजना आपरेशन फ्लड।

वर्ष 1976 से ही विश्व खाद्य कार्यक्रम अनुपूरक पोषण कार्यक्रम को सहायता देता आ रहा है। इस पोषण कार्यक्रम को दी गई सहायता का मूल्य 11 करोड़ 40 लाख डालर के बराबर बैठता है।

राजस्थान नहर परियोजना, जो वर्ष 1968 में शुरू की गई थी (निर्माण अवस्था में) 12 करोड़ श्रम दिवसों के बराबर रोजगार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त पूर्ण होने पर 30 लाख एकड़ मरु भूमि की सिंचाई करेगी। इस भूमि के 19,000 हैक्टेयर भाग को कृषि-योग्य बनाकर इस पर खेती करने वाले 30,000 परिवार लगभग 31,000 टन गेहूं, 2,500 टन खाना पकाने का तेल (कुकिंग आयल) तथा इतनी ही मात्रा में दालों के रूप में सहायता प्राप्त करेंगे।

आपरेशन फ्लड यानि देश में दूध की नदियां बहाने वाला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम ने गरीब, भूमिहीन लोगों को दुग्धशालाओं का विकास करके उनकी आय बढ़ाने में सहायता दी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा उपलब्ध कराए गए मलाई रहित दूध तथा बटर आयल को ताज दूध के साथ मिला कर दिया जाता है। इससे प्राप्त लाभों को 10,000 गांवों में 13 लाख 60 हजार उत्पादकों के स्वामित्व वाली छोटी डेयरियों के विकास हेतु प्रदान कर दिया जाता है। 11 वर्ष के काल में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने इस परियोजना के लिए 16 करोड़ 50 लाख डालर की सहायता प्रदान की है।

यद्यपि भारत खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वालों में प्रमुख है तो भी आवश्यकता के समय वह अपने पड़ोसी देशों को सहायता प्रदान करने में किसी से पीछे नहीं रहा है। मार्च, 1982 में देश ने बंगला देश को तत्काल सहायता के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को 1,03,000 टन से अधिक गेहूं उधार दिया। इसके लिए देश की ओर आने वाले एक जहाज को बंगला देश की ओर मोड़ दिया गया।

इस वर्ष जून में भारत सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा यह खाद्यान्न भारत को वापिस किए जाने के बाद द्विपक्षीय सहायता के तौर पर इसे बंगला देश को उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप सीधे उपलब्ध कराने के प्रबन्ध किए। इसके अलावा नेपाल में आपात सहायता कार्य चलाने के लिए भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम को 10,000 टन गेहूं का ऋण दिया। इसके साथ ही भारत सरकार ने कलकत्ता में मेनोनाइट सेंट्रल कमेटी को देने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को 6,600 टन गेहूं का और ऋण दिया। जबकि विश्व खाद्य कार्यक्रम इन दो पिछले ऋणों को सम्पूर्ण कर रहा है, भारत ने लेबनान को सीधी सहायता के रूप में लगभग 300 टन चीनी का उपहार दिया। यह उस देश को सहायता के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक की अपील पर किया गया।

ऐसा सहयोग विकाशसील देशों के मध्य आम तौर पर तथा एशिया तथा प्रशांत देशों के बीच विशेष तौर पर निःसन्देह विश्व के गरीब राष्ट्रों के लिए आशा की एक किरण है। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि वर्ष 1982 में गेहूं के आयात के बावजूद भारत अब खाद्य सहायता पर कम निर्भर रह गया है। इण्डोनेशिया, पाकिस्तान, फीलीपीन तथा श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतना होने पर भी वर्ष 1981 में इस क्षेत्र ने विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा उपलब्ध कराई गई 10 करोड़ डालर से भी अधिक की आपातकालीन राहत सहायता प्राप्त की। यह अन्तर्राष्ट्रीय आपात खाद्य संचय (आई० ई० एफ० आर०) तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम के अपने संसाधनों द्वारा उपलब्ध कराई गई। 7 करोड़ 80 लाख डालर की राहत सहायता का 60 प्रतिशत था। यह बात स्पष्ट है कि यह एक संकटग्रस्त क्षेत्र है। इस संकट में प्रकृति तथा मनुष्य दोनों का ही हाथ है। इस परिप्रेक्ष्य में यह बात बहुत संतोष जनक है कि बड़े राष्ट्रों की सहायता तथा अभावग्रस्त देशों की इच्छा शक्ति तथा संकल्प से इस क्षेत्र के कई भागों के विस्थापितों को प्रदान की जाने वाली राहत सहायता स्थाई पुनर्वास परियोजनाओं में परिवर्तित की जा रही है। अपने अस्तित्व तथा समर्पित सेवा की दूसरी दशाब्दी मनाते हुए विश्व खाद्य कार्यक्रम अपने उस दूरगामी लक्ष्य की ओर अग्रसर है, जब विश्व के किसी भी भाग के पुरुषों, स्त्रियों अथवा बच्चों को इसकी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।□

# बड़ी कामकाजी है जाड़े की धूप मेरे गांव की

रेशमी हिंडोले पर चढ़ करके जाड़े की धूप उतर आती है।
हरी-हरी दूब की हथेली पर, हीरों से कविता लिख जाती है।
सरसों की पगियां हिलाती रहती, गन्ने की कलंगी लहराती है।
कुहरे की नर्म रुई में धंस कर, नदी के गले से लग जाती है।
गुदड़ी के लालों के गाल चूम, अपने को धन्य मान लेती है।
धरती के बेटों की आंखों में, सतरंगी सपने भर देती है।
बड़ा काम करती है खेतों में, बिटिया किसान की बन जाती है।
अधपकी फसलों को पकाती है, लाकर खलिहान में सुखाती है।
ज्वार, बाजरे, मक्की के दाने, मोती-मूंग से चमकाती है।
धान कूटती गाती सखियों में, चांदी, से चावल दमकाती है।
बड़ी कामकाजी धूप जाड़े की, हंसती है खिल-खिल हंसाती है।
कुम्हड़े की बेलों पर चढ़ करके, सोनपरी ऊपर उड़ जाती है।

डा० रामजी मिश्र
1644, सोहन गंज,
सब्जीमण्डी,
दिल्ली-110007।

# गोबर गैस संयंत्र लगाइए

लेख राम चौहान "हिमाचली"

गोबर की खाद सर्वश्रेष्ठ खाद मानी जाती है । किसानों में इस तथ्य को बहुत प्रचारित करने के बाद भी इसकी उपेक्षा बराबर जारी है । आज भी हमारे देश में बहुत सा गोबर कण्डों या उपलों के रूप में जला दिया जाता है। लेकिन इस बरबादी को रोकना जरूरी समझा गया है । पर प्रश्न देहातों में ईंधन का भी खड़ा होता जा रहा है । जंगलों का सफाया हो जाने से गोबर जलाना और अधिक बढ़ गया है । लेकिन कृषि वैज्ञानिकों ने इस दिशा में गोबर से गैस बनाने की दिशा में प्रयत्न किया है। शुरू-शुरू में तो इस तकनीक की तरफ भी ग्रामीण जनता का ध्यान नहीं के बराबर गया था । लेकिन अब हालात बड़ी तेजी से बदलने लगे हैं । गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा के कुछ इलाकों में गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए गए और वे बड़ी अच्छी तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं । इससे गोबर गैस संयन्त्रों के प्रति किसानों में आशावाद ने जन्म लिया है । वे इस नई तकनीक के प्रति आश्वस्त होकर इससे लाभ उठाने के लिए जागरूक हो उठे हैं ।

## नए संकट का मुकाबला

ऊर्जा संकट आजकल विश्व भर के सामने एक नया संकट बन कर खड़ा है । इस संकट ने भी गोबर से गैस बनाने के माहौल को तेजी से उभारा है । अनेक सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में अधिक से अधिक गांवों में गैस संयन्त्र स्थापित करने की बात उठाई गई है ।

इसमें गोबर को हवा की अनुपस्थिति में इस तरह से सड़ाया जाता है कि उससे गैस निर्मित होकर मुक्त होती है, इस गैस को जो कि जलनशील होती है, इकट्ठा करके रखा जा सकता है । गोबर के किण्वन से बनी इस गैस में 60 प्रतिशत मीथेन और 10 प्रतिशत हाईड्रोजन होती है । यह ईंधन गैस की तरह ही काम में लाई जा सकती है । गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें ईंधन, ढैंचा, सनई, मूंगफली और गन्ने के छिलके, कूड़ा-कचरा भी गोबर में मिला सकते हैं । इस प्रकार से गांवों की गन्दगी का इलाज भी सहज हो जाया करता है । गोबर गैस संयन्त्र ऊर्जा संकट के माहौल में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला सिद्ध होगा ।

## लगाना भी सरल

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने गोबर गैस संयन्त्र को लगाने की तकनीक पर काफी प्रयोग किए हैं और उसे इतना आसान बना दिया है कि हर कहीं वह आसानी से लगाया जा सके ।

सामान्यतः गैस प्लांट 12×12 फुट के किसी भी स्थान पर लगाया जा सकता है। अच्छा यह होगा कि इस स्थान को घर के पास या रसोई घर के पास ही चुना जाए। स्थान का चुनाव काफी सावधानी पूर्वक करना चाहिए, वह स्थान जल भरा वाला नहीं हो । जहां लगाया जाए वह स्थान काफी खुला हुआ होना चाहिए । ताकि धूप अच्छी तरह पहुंच सके और फफूंद क्रिया (फारमेंटेशन) भली प्रकार हो सकेगा । पेड़ अथवा दीवार की छाया से ऐसे प्लांटों को बचाना चाहिए। अच्छी तरह से तैयार करने पर ऐसे गड्ढे से 100 घन फुट गैस तक उत्पन्न की जा सकती है । इतनी गैस बनाने के लिए प्रायः चार-पांच मवेशियों का गोबर जरूरी होगा । और एक छोटे परिवार को खाना बनाने, धन की आवश्यकता को पूरी करने की क्षमता वाला होगा । रसोई घर के अलावा इस गैस से इंजन चलाने तक के भी सफल परीक्षण किए गए हैं।

## खाद की समस्या भी नहीं रहेगी

इस तरह के गोबर गैस प्लांट से खाद की समस्या भी काफी तेजी से हल हो सकेगी । इसकी तलछट के रूप में बचा हुआ गोबर खाद के लिए भी बड़ा ही उपयोगी साबित हुआ है । इसमें पौधों के लिए वे सब ही पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं जो गोबर की खाद में पाए जाते हैं । कहने का अर्थ यह है कि इसमें से गैस निकल जाने पर भी खाद के तत्वों में कोई कमी नहीं आ पाती है । इसमें रोजाना तैयार खाद बाहर निकलेगी उसे ऐसे ही खेत में डाला जा सकता है । कम्पोस्ट खाद के लिए भी उसे दबा कर बढ़िया खाद बनाई जा सकती है । जैविक तत्वों से भरपूर इस तरह की खाद से भूमि की उर्वरा शक्ति भरपूर बनी रहेगी ।

## आप भी पहल कीजिए

गोबर गैस संयन्त्र लगाने के लिए आप भी पहल कीजिए । खादी ग्रामोद्योग कमीशन की सहायता से देश भर में गोबर गैस संयन्त्र बनाने का कार्यक्रम बड़ी तेजी से जारी है । आप इसे ग्रामीण एकीकरण विभाग व विकास खण्ड से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । अनेक राष्ट्रीयकृत बैंक इसके लिए कर्ज भी देते हैं । इस सुविधा का लाभ उठाकर ऊर्जा संकट मिटाइए, खेतों के लिए खाद बढ़ाइए । □

ग्राम व पत्रालय, पट्टा बराबरी,
वाया कुनिहार-173207,
जिला सोलन (हि० प्र०)

# डेयरी विकास

राजेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं गंगाशरण सैनी

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की 80 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। किसानों के पास थोड़ी-थोड़ी भूमि होने के कारण ट्रैक्टर द्वारा खेती लाभदायक नहीं होती । अत: स्पष्ट है कि हमारी खेती भी पशुओं पर निर्भर करती है। इस प्रकार कृषि का आधार पशुपालन है तथा इन दोनों को किन्हीं भी परिस्थितियों में एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता कारण कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1973-74 की पशु गणना के अनुसार देश में पशुओं की कुल संख्या 35 करोड़ 50 लाख है। विश्व की कुल गोपशु संख्या का लगभग एक छठा भाग तथा कुल भसों की आबादी का आधा भाग अकेले भारत में ही मौजूद है, जिनकी संख्या 1977 की पशु गणना के अनुसार लगभग 17 करोड़ 94 लाख और 6 करोड़ 17 लाख है। भेड़, बकरी और मुर्गियों की संख्या क्रमश: 4 करोड़ 10 लाख, 7 करोड़ 50 लाख तथा 15 करोड़ 90 लाख के करीब है। इस प्रकार भारत की पशु संख्या विश्व की कुल पशु-संख्या की लगभग एक चौथाई है।

देश की कुल वार्षिक आय का लगभग 20 प्रतिशत भाग केवल पशुधन से प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि पशुपालन एवं डेयरी का देश की अर्थव्यवस्था में काफी सहयोग है तथा यह एक महत्वपूर्ण उद्योग भी है।

1969-70 में दुग्ध की प्रतिदिन खपत 107 ग्राम थी जो 1981-82 के अन्त तक 131 ग्राम प्रति दिन हो गई । तथापि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 201 ग्राम प्रति-दिन प्रति व्यक्ति पोषाहार की आवश्यकता का सुझाव दिया है।

कृषि एवं ग्रामीण विकास को योजना में डेयरी विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसमें गांवों के निर्धनों विशेष-रूप से छोटे और सीमान्त कृषकों और खेतीहर मजदूरों को लाभान्वित करने की काफी क्षमता विद्यमान है। कहने का अभिप्राय यह है कि ग्रामीण समुदाय की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 'डेयरी विकास' एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाया जा सकता है। विश्व की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जिसके लिए भोजन, कपड़ा, मकान, आदि के सुप्रबंध के लिए अनेक परियोजनाएं चल रही हैं जिनमें विश्व खाद्य परियोजना का प्रमुख स्थान है। डेयरी विकास के अन्तर्गत आपरेशन फ्लड-2, राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड, खुरपका और मुंह पका रोग नियंत्रण, पशु संकरण, पशु स्वास्थ्य सुधार योजना, दिल्ली दुग्ध योजना, मदर डेयरी, दिल्ली, दूध की सुरक्षित पैकिंग के विषय में विस्तृत जानकारी इस लेख में दी जा रही है।

आपरेशन फ्लड-2 परियोजना:— आनन्द पैटर्न पर यह परियोजना डेयरी विकास के लिए काफी वर्ष पूर्व चलाई गई जिसके अन्तर्गत पशु स्वास्थ्य सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, विदेशी पशुओं के साथ देशी पशुओं में संकरण कार्य तथा अधिक दुग्ध उत्पादन आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल कर कार्यक्रम चलाए गए जिससे काफी सफलता भी प्राप्त हुई। देश में दुधारु पशुओं से लगभग 663 करोड़ रुपये का दूध और दूध से बने पदार्थ, 45 करोड़ रुपये की खाल, हड्डी तथा सींग तथा 99 करोड़ रुपये का मांस प्राप्त होता है।

भारत में सक्षम, आधुनिक और स्वत: सम्पोषित उद्योग की नींव तैयार करने के उद्देश्य से आपरेशन फ्लड-2 का शुभारम्भ किया गया, जिसे 1979 से 485 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय से चलाया जा रहा है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं:—

—ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादक सह-कारी समितियों का संगठन।

—सहकारी संरचना के माध्यम से तकनीकी आदानों की व्यवस्था।

—ग्रामीण दुग्ध क्षेत्रों तथा महानगरीय डेयरियों में परिसंस्करण क्षमता और विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करना।

**प्रगति :**

आपरेशन फ्लड-2 कार्यक्रम के अन्तर्गत दो राज्यों मेघालय और मणिपुर को छोड़-कर अन्य समस्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है और भारतीय डेयरी निगम के साथ मूल रूप से सहमति भी है तथा भावी डेयरी विकास योजनाएं भी बनाई गई हैं,

जिन्हें 1982-83 से चालू किया जा चुका है।

भारतीय डेयरी निगम को अक्तूबर 1982 के अन्त तक उपहार में मिली जिन्सों की बिक्री से 156.2 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई जिसमें 111.10 करोड़ रुपये डेयरी विकास कार्यकलापों पर व्यय किए गए। विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, बंगलौर और मद्रास महानगरों में 31 लाख लिटर प्रतिदिन की दुग्ध परिसंस्करण क्षमता प्राप्त की जा चुकी है। बिभिन्न दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों में लगभग 45 लाख प्रति लिटर प्रतिदिन की ग्रामीण डेयरी परिसंस्करण क्षमता प्राप्त की गई है।

## राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड :

आपरेशन फ्लड परियोजना की एक विशेषता दुग्ध संग्रह और अधिप्राप्ति में क्षेत्रीय और मौसमी असंतुलनों को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड की स्थापना करना है और विभिन्न मांग केन्द्रों को दूध की समान आपूर्ति को बनाए रखना है। राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड को 26.20 लाख लिटर की क्षमता के 75 रेल दुग्ध टैंकर मुहैया कराके सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अक्तूबर 1982 के अन्त तक 59.86 लाख लिटर की क्षमता के 521 सड़क दुग्ध टैंकरों का उपयोग शुरू हो गया है। इस प्रकार दूध की ढुलाई क्षमता 85 लाख 6 हजार लिटर हो गई है।

दुग्ध चूर्ण, मक्खन, और अन्य दुग्ध उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों में 6500 मीटरी टन भण्डारण क्षमता का सृजन किया गया है जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

## दूध की सुरक्षित पैकिंग

उपभोक्ताओं की विभिन्न मांगों को पूरा करने और किराना जिन्हों की भांति दूध की बिक्री की व्यवस्था करने के हेतु परतदार आद्यानों में दूध की सप्लाई के लिए परतदार कागज तैयार करने की क्षमता सृजित की गई है। भारतीय डेयरी निगम द्वारा बड़ोदा के समीप इटौला में परतदार कागज तैयार करने के लिए संस्थापित संयंत्र पूरा हो गया है। इसके अलावा गुजरात में सूरत, राजस्थान में जयपुर, मध्य प्रदेश में इन्दौर और आंध्र प्रदेश में संगम जागरलामुडी में स्थापित किए जा रहे परिसुरक्षित दुग्ध पैकिंग केन्द्र पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। लगभग एक लाख लिटर सुरक्षित रखे जाने वाले निर्जीवीवृत दूध प्रतिदिन पैक करने के लिए प्रत्येक केन्द्र में व्यवस्था की गई है।

## संकरण कार्यक्रम :

अधिक दुग्ध उत्पादन तथा नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत संकर प्रजनन अपनाया गया और अब यह कार्यक्रम देश के अनेक भागों में प्रचलित हो गया है। संकर प्रजनन का मतलब है कि एक नस्ल की पशु का दूसरी अच्छी नस्ल की पशु से संकरण कराया जाए तो इससे उत्पन्न संतति में दोनों के अच्छे तथा अधिक दुग्ध उत्पादन वाले गुणों का समावेश हो जाता है। इस संकर प्रजनन के परिणामस्वरूप इनकी संतति में अधिक उत्पादन क्षमता के साथ-साथ अधिक दिनों तक दूध वैन की भी क्षमता होती है। ये संकर पशु 14-15 महीनों में ही वयस्क हो जाते हैं। जब तक देशी बछिया वयस्क होगी तब तक संकर बछिया एक ब्यांत की हो जाती है।

इन संकर पशुओं में कई गुणा दूध उत्पादन की क्षमता होती है जैसे संकर प्रजनन के अन्तर्गत 8 वर्ष में 5 ब्यांत तथा लगभग 12 हजार लिटर दूध मिल सकेगा जबकि थारपारकर नस्ल की देशी गाय से 8 वर्ष 6 माह में केवल 4 ब्यांत और 5 हजार लिटर ही दूध मिल सकता है। इससे स्पष्ट है कि संकर प्रजनन द्वारा कम समय और अच्छी खान-पान की प्रबंध व्यवस्था द्वारा अधिक दुग्ध उत्पादन कम समय में आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार आपरेशन फ्लड परियोजना के अन्तर्गत इस संकरण कार्यक्रम के फलस्वरूप "श्वेत क्रान्ति" भी हुई और पूरे देश में दुग्ध उत्पादन के साथ-साथ डेयरी उद्योग में काफी हद तक उन्नति देखने को मिली।

## पशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम :

डेयरी विकास के अन्तर्गत पशुओं के स्वास्थ्य सुधार एवं पशुधन विकास के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए जैसे विदेशी नस्लों जर्सी, होलस्टीन, फ्रीजियन आदि नस्ल के विदेशी पशुओं का अध्ययन करके पशुओं; कृत्रिम गर्भाधान विधियों द्वारा कराया गया संकरण जिससे दुग्ध उत्पादन के साथ-साथ देश में "श्वेत क्रान्ति" भी हुई।

देश में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान डेयरी विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। इन योजनाओं के अन्तर्गत पशु-स्वास्थ्य एवं नस्ल सुधार हेतु अनेक पशु चिकित्सा केन्द्र तथा पशु चिकित्सालय खोले जा रहे हैं। साथ ही साथ पशु चिकित्सा के शिक्षण के लिए पशु-चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय और अनेक प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले गए। पशुचिकित्सा संबंधी अनुसंधान शालाएं स्थापित की गईं जिनमें श्रेष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा किए गए लाभदायक प्रयोग बाद में जनसाधारण में पशु पालकों तक पहुंचाए जाते हैं। सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत विकास क्षेत्रों में पशु-चिकित्सक अथवा सहायक विकास अधिकारी (पशु-पालन) जन-जन से सम्पर्क स्थापित कर पशु-पालन संबंधी समस्याओं का समाधान कराकर पशु-पालकों को इस क्षेत्र म काफी प्रोत्साहित करते हैं। पशु-चिकित्सा के लिए देश एवं विदेशों की अनेक वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिसके परिणाम स्वरूप पशओं में होने वाले भयानक संक्रामक रोगों के निवारण के लिए अनेक पशु-चिकित्सालय, पशु स्वास्थ्य केन्द्र आदि स्थापित किए गए। वर्ष 1982 के अन्त तक भारत में कुल 13,600 पशु चिकित्सालय तथा पशु स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 1982-83 के के दौरान 500 पशु पालक केन्द्र और पशु चिकित्सा सहायता केन्द्र भी बनाए गए जिसके परिणाम स्वरूप देश में ऐसे केन्द्रों की कुल संख्या 16,000 हो गई है। इस योजना के अन्तर्गत पशुओं की बीमारियों तथा कीटों के कारण उत्पन्न रोगों को कम करने के लिए एक सक्षम स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र भी स्थापित किया गया है।

पशु रोगों का शीघ्र निदान करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के तत्वावधान में 14 रोग परीक्षण प्रयोग शालाओं को स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। वर्तमान रोग समस्याओं पर 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं

भी स्थापित की जाएंगी जहां विशेषज्ञों द्वारा उपचार की सुविधा होगी ।

राज्य पशु चिकित्सा जैविक उत्पादन केन्द्रों पर वर्ष 1982-83 में 3700 लाख वैक्सीन और रोगों की पहचान के लिए साधनों को निर्मित किया गया। केन्द्र में एक पशु रोग नियंत्रण कक्ष तथा प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों में प्लेग एकक स्थापित किए गए । ये एजेन्सियां पशुरोग के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जानकारी हासिल करेंगी तथा साथ ही साथ रोगों की रोकथाम, उपचार आदि से संबंधित प्रचार तथा पूर्व चेतावनी आदि के कार्य भी सम्पन्न करेंगी ।

जैसा कि सभी पशुपालक जानते हैं कि खुरपका-मुंहपका रोग दुधारू पशुओं के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अत: भारतीय डेयरी निगम ने आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत इसे प्रभावी ढंग से रोकने के लिए हैदराबाद में खुरपका और मुंहपका टीका उत्पादन की प्रयोगशाला स्थापित की है । इस संयंत्र की प्रतिवर्ष टीके की 250 लाख चनु-संयोजक मात्रा उत्पादित करने की क्षमता है । जैविक संयंत्र शुरू करने का कार्यक्रम चल रहा है। प्रक्रिया संबंधी जानकारी और संयंत्र का मुख्य भाग ब्रिटेन की वैल्फेयर फाउण्डेशन द्वारा प्रदान किया गया है और परियोजना का कार्यान्वयन ब्रिटिश सरकार की सहायता से किया जा रहा है।

महामारी उन्मूलन तथा खुरपका-मुंहपका रोग नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा क्रमश: लगभग 5.5 करोड़ और 52 लाख टीके एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत लगवाए गए ।

देश में पशुओं की महामारी की समाप्ति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम सरकार द्वारा बनाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय महत्व के 3 पशु रोगों जैसे तपेदिक, बुसेलोसिस और गोपशुओं का प्लूरो-निमोनिया के नियंत्रण तथा उन्मूलन के लिए कार्य जारी है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर में पशुओं के अनेक भयंकर रोगों पर अनुसंधान किए गए जिनमें गोपशुओं के पशु-प्लेग रोग के शीघ्र निदान के लिए कार्य किए गए हैं तथा इसके टीके भी विकसित किए गए हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाली बीमारियों, जिनमें थीलेरियेसिस महत्वपूर्ण है, के नियंत्रण के लिए भी प्रभावी टीका विकसित किया गया । खुरपका, मुंहपका तथा एन्थ्राक्स (जहरी बुखार) जैसे भयानक रोगों के उपचार के लिए भी कार्यक्रम के प्रयास जारी हैं।

## मदर डेयरी, दिल्ली

दिल्ली में दूध की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मदर डेयरी की क्षमता बढ़ाकर 6 लाख लिटर प्रति दिन तक कर दी गई है जबकि सितम्बर 1982 में इसकी औसत क्षमता लगभग 5.70 लाख लिटर प्रति दिन थी। प्रदूषण के भय को कम करने के लिए 10 लाख लिटर तरल पदार्थ प्रति दिन सम्भालने के लिए एक तरल पदार्थ उपचार संयंत्र तैयार किया गया है । मदर डेयरी के 300 थोक बिक्री केन्द्रों, 275 इन्सुलेटेड टैंकरों और 202 पोली पैक खुदरा दुग्ध केन्द्रों से टोन्ड तथा पूर्ण क्रीम युक्त दूध की बिक्री की जा रही है।

## दिल्ली दुग्ध योजना

दिल्ली दुग्ध योजना अपना सारा दूध उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, डेयरी विकास निगम, पंजाब और दिल्ली में स्थापित पशु कालोनियों के डेयरी संघों से प्राप्त करती है। दिल्ली दुग्ध योजना के अंतर्गत नवम्बर 1982 में दुग्ध वितरण बढ़कर 3.57 लाख लिटर प्रति दिन हो गया था जब कि जनवरी 1982 में यह 3.15 लाख लिटर था। दिल्ली दुग्ध योजना 1008 दुग्ध केन्द्रों और 1337 घर पर दूध पहुंचाने वाले एजेंटों के जरिए दुग्ध वितरण करती है दिल्ली दुग्ध योजना तरल दुग्ध वितरण के अलावा मक्खन, सुवासित दूध और दही भी बनाती है।

विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जिन डेयरी विकास परियोजनाओं को चलाया जा रहा है उनकी प्रगति संतोषजनक है। अक्तूबर 1982 के अन्तर्गत इन राज्यों में 11.40 लाख लिटर प्रतिदिन दुग्ध परि-संस्करण क्षमता का सृजन किया गया। इन तीनों राज्यों की डेयरी में अक्तूबर 1981 में दूध की क्षमता 4.15 लाख लिटर थी जो अक्तूबर 1982 में बढ़कर 5.35 लाख लिटर हो गई । अक्तूबर 1981 में ग्राम डेयरी सहकारी समितियों की संख्या 3106 थी और इनके अंतर्गत 3.04 लाख परिवार थे । अक्तूबर 1982 में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 3752 हो गई और इनके तहत 3.52 लाख फार्म परिवार आ गए।

विश्व खाद्य परियोजना के अंतर्गत डेयरी विकास संबंधी ये सभी कार्यक्रम पूरे देश में जारी हैं जिनके लिए केन्द्र, राज्य सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनेक अनुसंधान संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसके अति-रिक्त राष्ट्रीय डेयरी विकास परिषद्, इन्डियन डेयरी कार्पोरेशन, आदि संस्थाएं भी इस दिशा में महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रही हैं। देश के पांच महानगरों में दुग्ध योजनाएं चलाई गई हैं यथा कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बम्बई, बंगलौर । इन पांच महानगरों में दुग्ध योजनाएं चल रही हैं जो जनता में प्रतिदिन काफी मात्रा में दुग्ध वितरित करती हैं । राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास परिषद्, आनन्द द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में ब्लाक एवं गांव-स्तर पर सहकारी दुग्ध समितियां, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा पशु चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करके प्रसार-कार्यकर्ताओं द्वारा डेयरी विकास के लिए प्रयत्न जारी हैं। यह एक महत्वपूर्ण लाभदायक उद्योग साबित हो रहा है जिससे जनता में विशेष कर गांवों में छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा गो-पशुओं के पालन को प्रोत्साहन मिल रहा है और परिणामस्वरूप स्थापित की गई सभी सहकारी समितियां सफल रूप से कार्य कर रही हैं। □

**राजेन्द्र कुमार पाण्डेय**
**डी-1/158, सत्यमार्ग,**
**चाणक्यपुरी**
**नई दिल्ली-110021**
**एवं**
**गंगाशरण सैनी, कृषिपत्रकार**
**1023, टाइप-4,**
**एन० एच०-4,**
**फरीदाबाद (हरियाणा)**

# जीवन बीमा गांवों की ओर
## उपलब्धियां एवं चुनौतियां

—राजकुमार

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत का हृदय उसके गांवों में बसता है। आजादी के 36 वर्ष बाद भी भारत की अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है और इनमें से 70 प्रतिशत खेती-बाड़ी और इनसे सम्बन्धित कामों से जीवन निर्वाह करती है।

छठे और सातवें दशक में हरित-क्रान्ति के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। एन०सी०ए०ई०आर० (नेशनल काउन्सिल आफ अप्लाइड एकोनामिक रिसर्च) द्वारा हाल ही में जारी किए गए सर्वेक्षण परिणाम के अनुसार इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ग्रामीण क्षेत्र में आय का औसत विभाजन शहरों की अपेक्षा अधिक है। सर्वेक्षण के अनुसार निम्न आय वर्ग के परिवार को जो कि कुल ग्रामीण आबादी का 50 प्रतिशत है, ग्रामीण आय का केवल 8.2 प्रतिशत ही प्राप्त होता है, जब कि शहरी क्षेत्र में यही अनुपात 3.2 प्रतिशत है।

बचत के क्षेत्र में भी पिछले 2 दशकों में भारी वृद्धि हुई है। 1966–67 में बचत की प्रतिशत कुल राष्ट्रीय आय का 12 प्रतिशत थी। यह संख्या बढ़कर 1974–75 में 14.5 प्रतिशत तथा 1976–77 में 18.75 प्रतिशत हो गई। रिजर्व बैंक के अनुसार 1978–79 में इसके 20 प्रतिशत तक हो जाने की सम्भावना रही। इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिला जो ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में कार्यरत रहे।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में आज भारतीय जीवन बीमा निगम को अपना कारोबार बढ़ाने में बैंकों, डाकघरों, यूनिट्रस्ट तथा अन्य बचत योजनाओं के संगठनों के बिछे घने जाल से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। विशेष कर पिअरलेस कम्पनी जो कि निगम की योजनाओं की नकल करके अपने सुदृढ़ संगठन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से लोकप्रिय होती जा रही है।

बैंक ने राष्ट्रीयकरण तथा ग्रामीण शाखा विस्तार के बाद ग्रामीण जनता को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ऋण की सुविधा प्रदान की है। शाखाओं के क्रमिक विकास तथा ग्रामीण बैंकों की स्थापना से कम से कम प्रत्येक विकास खण्ड पर किसी न किसी बैंक की शाखा कार्य कर रही है जो ग्राम निवासियों के दैनिक सामाजिक जीवन का एक अंग बन गई है और दूसरे शब्दों में बैंक द्वारा बचत हमारे जीवन का एक नारा सा बन चुका है। वहीं यह कटु सत्य है कि जीवन बीमा निगम का नारा "सुरक्षा और गाढ़े समय के लिए बचत" अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बहु-संख्यक जनता तक नहीं पहुंच पाया है जब कि निगम के प्रचार साधन बैंकों की तुलना में कहीं अच्छे हैं। इसका एक मुख्य कारण निगम का दोषपूर्ण संगठनात्मक ढांचा रहा है। इस कमी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार निगम की 5 स्वतन्त्र इकाइयों में विभाजित करने सम्बन्धी कानून बना रही है। इस पुनर्गठन के पीछे सरकार का यह तर्क है कि इससे निगम की विभिन्न इकाइयों में स्वस्थ आपसी प्रतिस्पर्धा पैदा होगी तथा जीवन बीमा के सुरक्षा का संदेश देश के ग्रामीण तथा पिछड़े इलाकों तक पहुंचाने में तेजी आएगी। दूसरे कारण के रूप में वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षा निगम का ग्रामीण क्षेत्रों में नगण्य प्रभाव रहा है क्योंकि आज भी हमारे गांवों में ही क्या शहरों में भी व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा मौखिक संप्रेषणीयता दृश्य (आडियो विज्यूल) तथा अन्य प्रकार के साधनों से कहीं अधिक प्रभावी है।

1977 से जीवन बीमा पालिसियों के विक्रय के सम्बन्ध में भी यही बात कमोवेश लागू होती है। निगम द्वारा स्वयं तमिलनाडु राज्य के तंजौर मंडल के अन्तर्गत जीवन बीमा के प्रचार एवं प्रसार से सम्बन्धित एक सर्वेक्षण कराया गया जिसके अनुसार निगम के सम्बन्ध में जानकारी के स्रोत का अनुपात निम्न था :–

| | |
|---|---|
| 1– पुराने बीमेदारों के माध्यम से | 31% |
| 2– सम्बन्धियों एवं मित्रों के माध्यम से | 35% |
| 3– समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि | 23% |
| 5– सिनेमा | 0.6% |
| 5– रेडियो | 1.3% |
| 6– निगम के प्रदर्शन पट | 1.1% |
| 7– प्रचार वाहन | 0.5% |
| योग | 100% |

उपरोक्त आंकड़ों से भी इस तर्क की पुष्टि होती है कि व्यक्तिगत तौर पर सम्पर्क ग्रामीण क्षेत्र में जीवन बीमा प्रसार के

लिए आवश्यक है। उपरोक्त आंकड़ो के अनुसार 31 प्रतिशत 55 प्रतिशत 86 प्रतिशत लोगों का जीवन बीमा से सम्बन्धित जानकारी का स्रोत पुराने बीमेदारों, सम्बन्धियों एवं मित्रों के माध्यम से रहा है। यह बात जो तंजौर मण्डल में सर्वेक्षण के दौरान सामने आई पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू होती है

## निगम का ग्रामीण बीमा व्यवसाय :

1956 में 243 भारतीय तथा विदेशी जीवन बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करके "भारतीय जीवन बीमा निगम" की स्थापना मात्र इस उद्देश्य से की गई थी कि निगम के द्वारा जीवन बीमा का लाभ देश के पिछड़े तथा दूर दराज के ग्रामीण निवासियों तक पहुंचाया जा सकेगा जो कि निजी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों के माध्यम से नहीं किया जा सकता था किन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या निगम अपने 25 वर्ष के जीवन काल के दौरान उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त कर सका है।

निगम का ग्रामीण व्यवसाय जो कि 1961 में 182.59 करोड़ रुपये था बढ़कर 1970–71 में 296.37 करोड़ रुपये तथा 1980–81 में 675.32 करोड़ रु० तक पहुंच गया। इस प्रकार व्यवसाय में मामूली उच्च वचनों के बावजूद भी मुख्यतः वृद्धि की प्रवृत्ति है फिर भी निगम का ग्रामीण व्यवसाय सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यदि हम इन आंकड़ों को व्यक्तिगत जीवन बीमा के प्रतिशत के रूप में देखें तो प्राप्त परिणाम और भी निराशजनक होता है। यह प्रतिशत 1961 में 30.49 था जो कि घटकर 1970–71 में 24.38 प्रतिशत हो गया तथा पुनः 1980–81 में 23.43 पर आ गिरा। इस प्रकार यह प्रतिशत निरन्तर घटने की प्रवृत्ति ही दर्शित करता रहा। इन आंकड़ों के विश्लेषण से यह बात उभर कर सामने आती है कि निगम अपने राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में इतना पीछे क्यों रहा, इसके लिए कौन-कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर नपे-तुले शब्दों में देना बड़ा कठिन है क्योंकि निराशाजनक उपलब्धि के बहुत से कारक हो सकते हैं। जैसे निगम का दोषपूर्ण संगठनात्मक ढांचा, कार्यकुशलता का अभाव, प्रचार माध्यमों की अक्षमता, पहले से चली आ रही पुरानी योजनाएं तथा 1969 में बैंक राष्ट्रीकरण ने निगम की नींव हिला दी, क्योंकि बैंक की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने लगीं तथा ग्रामीण जनता उस ओर आकृष्ट होने लगी जब कि निगम उस अनुपात में "अपनी गतिविधियां" नहीं तेज कर पाया, इसी दौरान भारत-पाक युद्ध, भीषण महंगाई तथा भयंकर बाढ़ और सूखों ने निगम के ग्रामीण व्यवसाय को गहरा धक्का पहुंचाया और सम्प्रति निगम को पियरलेस एवं बैंकों की ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई गई आकर्षक योजनाओं से कड़ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

## निगम के द्वारा किए गए प्रयास :

निगम ने समय-समय पर नई-नई योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का सराहनीय प्रयास किया है जो निम्न है :

### 1. बीमा ग्राम योजना :—

जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय की बढ़ती सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अक्तूबर 1975 में राष्ट्रीय पैमाने के अन्तर्गत चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय के विस्तार के लिए एक योजना का प्रारूप तैयार किया गया था जिसके अन्तर्गत चुने हुए गांवों को "बीमा ग्राम" के रूप में मान्यता देकर वहां के निवासियों को जीवन बीमा सम्बन्धी सभी सुविधाएं देना, बीमा की किस्तों के जमा करने की आसान व्यवस्था करना एवं कालातीत पालिसियों के पुनर्चलन की सरल व्यवस्था करना शामिल है। वर्ष 1976–77 में इस योजना के अन्तर्गत सारे देश में 1085 बीमा ग्रामों की स्थापना की गई जिनका क्षेत्रवार विभाजन निम्न था :—

| क्षेत्र | बीमा ग्रामों की संख्या |
|---|---|
| उत्तरी | 105 |
| मध्य | 199 |
| पूर्वी | 121 |
| दक्षिणी | 488 |
| पश्चिमी | 172 |
| | 1085 |

यद्यपि इन बीमा ग्रामों के कार्यकलाप पर कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है, फिर भी मोटे तौर पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि कुल मिलाकर इस योजना को आशातीत सफलता नहीं मिली। सम्भवतः इसका कारण ग्राम विशेष के विकास के लिए निगम द्वारा कोई ऋण न दिया जाना। ग्रामीण क्षेत्रों के पास शाखाओं का न होना एवं जनसम्पर्क का अभाव प्रमुख कारण रहे हैं। बीमा ग्राम योजना की सफलता के लिए आवश्यक है कि उसमें आवास, सिंचाई एवं कृषि विकास सम्बन्धी सुविधाओं के लिए निगम विनियोग की व्यवस्था करें। (देखिए ए० आर०सी० रिपोर्ट 1968 पृष्ठ 18)।

### रूरल कैरियर एजेन्ट स्कीम (आर० सी० ए० योजना)

वर्ष 1978–79 में इस योजना का शुभारम्भ हुआ। इस योजना के अन्तर्गत शहरों की भांति ही हर गांव में एक ग्रामीण अभिकर्ता (जो कि हाई स्कूल पास तथा 29 से 35 वर्ष की आयु का हो) का चुनाव कर उसे वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इन अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष 125 रुपये प्रतिमास तथा दूसरे वर्ष 100 रुपये प्रतिमाह स्टाईपेंड दिया जाता है। यद्यपि इस योजना को लागू हुए कुछ ही वर्ष हुए, फिर भी इसके परिणाम बड़े ही उत्साहवर्द्धक रहे हैं। मार्च 1982 में 2083 ऐसे अभिकर्ता कार्यरत थे।

### जनरक्षा पालिसी :—

वर्ष 1981 में जन रक्षा पालिसी का प्रचलन भी ग्रामीण व्यवसाय के विकास में निगम द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। यह

पालिसी ग्रामीण परिस्थितियों एवं ग्रामीण आश्यकताओं को पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए बनाई गई है। यदि निगम का प्रचार विभाग एवं विकास कार्यों में लगे कर्मचारी एवं अभिकर्ता तथा विकास अधिकारी इस योजना में रुचि लेंगे तो इसके अंतर्गत बहुत अधिक बीमा व्यवसाय प्राप्त होने की सम्भावनाएं हैं।

## सुझाव

1. ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुविधाजनक योजनाएं आरम्भ की जाएं, यद्यपि जनरक्षा पालिसी इन आवश्यकताओं की काफी हद तक पूर्ति कर सकती है।

2. निगम को पालिसी की शर्तों को आसान बनाना चाहिए। पुनर्चलन तथा पालिसी पर कर्जे की भुगतान की सुविधाएं तुरन्त प्रदान की जानी चाहिए।

3. निगम को कृषि कार्य ग्रामीण, गृह निर्माण, खाद तथा सिंचाई संसाधनों के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण देने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे ग्रामीण जनता निगम के ग्रामीण विकास में किए जा रहे प्रत्यक्ष योगदान को जानेगी तथा निगम की ओर आकर्षित होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मस कमीशन (ए०आर०सी०) का कार्यकारी दल (1972) भी इस सुझाव से सहमत था।

4. सरकार को "इरा सेझियान कमेटी रिपोर्ट" की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही निगम की पुनर्गठन योजना को लागू करना चाहिए, जिसके तहत अन्य बातों के अलावा शाखाओं को अधिक स्वायत्ता प्रदान करने की व्यवस्था है।

5. निगम को असंगठित क्षेत्रों में भी समूह बीमा योजना लागू करना चाहिए विशेषकर खेतिहर मजदूर तथा छोट किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से समूह बीमा योजना के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। (देखिए इरा सेझियान कमेटी रिपोर्ट पृष्ठ 12)

6. ग्रामीण कैरियर एजेन्ट योजना का विस्तार निगम की अधिक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलकर किया जाना चाहिए।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्युदावों के भुगतान सम्बन्धी सभी कार्यवाहियों में निगम को अशिक्षित विधवाओं की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दावा सम्बन्धी औपचारिकताओं में सरलता लानी चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य व्यापार उन्हीं की भाषा के माध्यम से होना चाहिए।

8. जीवन बीमा का संदेश ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए प्रचार तथा प्रसार साधनों को और तेज किया जाना चाहिए।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमा सुरक्षा का संदेश ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निगम के स्वयं के प्रयासों के अतिरिक्त सरकार, जनता तथा अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित है। □

**शोध छात्र,**
**वाणिज्य विभाग,**
**काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (उ० प्र०)**

# ग्रामीण क्षेत्रों मे भंडारण का सस्ता उपाय

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक कम खर्चीले शीत प्रकोष्ठ का विकास किया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में फल व सब्जी उत्पादकों की आर्थिक स्थिति सुधारने में काफी हद तक सहायक होगा।

भारत में प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 5 करोड़ टन फल व सब्जियों का उत्पादन होता है। इसका लगभग 20 से 40 प्रतिशत भाग उपयुक्त भंडारण सुविधा के अभाव में नष्ट हो जाता है।

ऊर्जा रहित शीत प्रकोष्ठ इस समस्या का एक हल है। इसमें एक गोल छिद्रिल आवरण होता है जिसके माध्यम से हवा खींची जाती है तथा वाष्पीकरण द्वारा नम व ठंडी की जाती है। इस शीत प्रकोष्ठ की संरचना सस्ती व स्थानीय सामग्री जैसे इंट, रेत, बांस, खस खस, तथा बोरियों से तैयार की जाती है। इन्हें पर्याप्त हवा तथा छाया वाले स्थान में निर्मित किया जाता है।

एक क्विंटल फल व सब्जी रखने की क्षमता वाले प्रकोष्ठ के निर्माण में 350 ईटों तथा 10 बोरी रेत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के प्रकोष्ठ के निर्माण में खसखस, टाट तथा बांस को शामिल कर लगभग 200 रुपये लागत आती है।

इस शीत प्रकोष्ठ के कई लाभ हैं। इससे विभिन्न प्रकार के फल व सब्जियों का वर्ष भर विपणन संभव होता है। इससे फल व सब्जियों के गुण सुरक्षित रहते हैं और उत्पादकों को अपने उत्पाद की उचित कीमत मिलती है। □

# समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

## मासिक सार

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम/विशेष पशु संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं तथा अन्य परिसम्पत्तियों का बीमा करने से सम्बन्धित मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए 20 अगस्त, 1983 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रभारी सचिवों और बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी ।

25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त, 1983 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन के जिला स्तरीय प्रभारी अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों तथा वित्तीय संस्थाओं के 52 अधिकारियों ने भाग लिया था ।

सचिव (ग्रामीण विकास) ने संयुक्त सचिव (आई० आर० डी०) के साथ 28 अगस्त से लेकर 5 सितम्बर, 1983 तक जम्मू तथा कश्मीर का दौरा किया था । क्षेत्रीय दौरे किए गए और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के बारे में मुख्य सचिव तथा अन्य विभागीय अध्यक्षों से विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा तथा लक्षद्वीप को 1983-84 में सहायक अनुदान के केन्द्रीय अंश के रूप में 1572.00 लाख रुपये की धन राशि बंटित की गई है । 1983-84 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक 6263.00 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है ।

### राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

समीक्षाधीन माह के दौरान चालू वित्तीय वर्ष 1983-84 की प्रथम दो तिमाहियों के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को 673.85 लाख रुपये की धन-राशि तथा 55564 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा बंटित की गई है । किए गए बंटनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र | बंटित नकद निधियां (लाख रुपये में) | बंटित खाद्यान्न (मीटरी टन) |
|---|---|---|
| 1. बिहार | — | 20273 |
| 2. चण्डीगढ़ | 1.30 | 6 |
| 3. दादरा व नगर हवेली | — | 25 |
| 4. दिल्ली | — | 35 |
| 5. गुजरात | — | 4333 |
| 6. कर्नाटक | — | 8769 |
| 7. मध्य प्रदेश | 651.25 | 12600 |
| 8. मेघालय | — | 240 |
| 9. मिजोरम | 15.00 | 67 |
| 10. नागालैंड | 3.00 | — |
| 11. पांडिचेरी | — | 116 |
| 12. उड़ीसा | — | 9100 |
| 13. सिक्किम | 3.30 | — |
| योग : | 673.85 | 55564 |

इस प्रकार चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/ केन्द्र शासित क्षेत्रों को अब तक 7407.83 लाख रुपये की धनराशि तथा 1, 17,528 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा बंटित की गई है ।

न्यून कृषि अवधियों जब कार्य कम होता है, के दौरान ग्रामीण भूमिहीन लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ करने के उद्देश्य से "ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम" नामक एक नई योजना शुरू की गई है ।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के लिए 100.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है और आगामी वित्तीय वर्ष

अर्थात् 1984–85 के लिए 500.00 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान होगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष में 60 मिलियन श्रम दिनों और आगामी वर्ष में 300 मिलियन श्रम दिनों का अतिरिक्त रोजगार सृजित किए जाने की आशा है।

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों से कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू करने हेतु योजनाएं/परियोजनाएं तैयार करने के लिए अग्रिम कार्यवाही शुरू करने और उसे केन्द्रीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु इस मंत्रालय को अग्रेषित करने का अनुरोध किया गया है।

### ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत वर्तमान आधार भूत ढांचे को मजबूत बनाना।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान वर्तमान प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संस्थाओं को 0.325 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। इस प्रकार, योजना के अन्तर्गत अब तक 14.94 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

### प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन

समीक्षाधीन माह के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों, गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के आयोजन के लिए 0.10 लाख रुपये की धन राशि बंटित की गई है। इस प्रकार अब तक 0.434 लाख रुपये की कुल धनराशि बंटित की गई है।

### सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात सरकार को 157.50 लाख रुपयों की धनराशि बंटित की गई है और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हरियाणा तथा गुजरात सरकार को क्रमशः 57.50 लाख रुपये और 20.00 लाख रुपये की धन राशि बंटित की गई है।

### विपणन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राज्य सरकारों को बाजारों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 8.00 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। अब तक 1983–84 के दौरान इस प्रयोजन के लिए 81.88 लाख रुपये की धन राशि बंटित कर दी गई है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय उपदान के रूप में 2.175 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। 1983–84 के दौरान अब तक 3.2625 लाख रुपये की धन राशि बंटित की गई है

### जन सहयोग

समीक्षाधीन अवधि के दौरान वर्ष 1983–84 के लिए रखे गए अनुदानों के आबंटन में से ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यवाही को प्रोत्साहन देने की योजना के अन्तर्गत दूसरी किस्त के रूप में सामुदायिक हाल के निर्माण के लिए ऊषाग्राम ट्रस्ट, पी० ओ० बीरनगर, जिला नदिया (पश्चिमी बंगाल) को 0.125 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

### अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूतपूर्व संयुक्त सचिव श्री जी० एल० बैलूर को 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त, 1983 तक चीन में समन्वित ग्रामीण विकास के संस्थागत तथा विकास पहलुओं में वर्तमान रुखों के विश्लेषण के बारे में आयोजित संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय गोष्ठी में भाग लेने के लिए नामित किया गया था।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के निदेशक (जन सहयोग) श्री जी० एस० सन्धू को 29 अगस्त, 1983 से लेकर 5 सितम्बर, 1983 तक कोलम्बो (श्री लंका) में जनता के सहयोग के बारे में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र हेतु समन्वित ग्रामीण विकास केन्द्र की उप-क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए नामित किया गया था।

इस मंत्रालय की अवर सचिव कु० विभा पुरी और चिक-मंगलूर (कर्नाटक) की उपायुक्त श्रीमती शांता कुमारी देवराज की 5 से लेकर 30 सितम्बर, 1983 तक यूनिसेफ के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान, मनिला में ग्रामीण विकास प्रबन्ध के बारे में प्रशिक्षण गोष्ठी में भाग लेने के लिए नामित किया गया है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री के निमन्त्रण पर लाइबेरिया सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री महामहिम श्री युदु एस० ग्रे की अध्यक्षता में एक लाइबेरिया शिष्ट मण्डल 30 अगस्त से 7 सितम्बर, 1983 तक भारत का दौरा किया था। भारत में उनके प्रवास के दौरान लाइबेरिया के शिष्ट मण्डल ने ओखला बराज में मध्यम सिंचाई परियोजना, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले और हरियाणा के गुड़गांव जिले में समन्वित ग्रामीण विकास/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ट्राइसेम परियोजनाओं का दौरा किया था। उन्होंने पूसा इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली में जल प्रौद्योगिकी केन्द्र को भी देखा था। लाइबेरिया शिष्टमण्डल ने 2 सितम्बर, 1983 को ग्रामीण विकास मन्त्री से भेंट की थी और उनसे विचार-विमर्श भी किया था।

### विविध

मन्त्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए संसद भवन, नई दिल्ली में 24 अगस्त, 1983 को ग्रामीण विकास मन्त्री की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मन्त्रालय की परामर्शदात्री समिति की एक बैठक हुई थी। □

# विश्व खाद्य कार्यक्रम

विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से 1963 में प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का मूल लक्ष्य विकासशील देशों को अनुदान के रूप में खाद्य व मांसाहार उपलब्ध कराना था ताकि वे आर्थिक व सामाजिक विकास की अपनी परियोजनाओं को क्रियान्वित कर सकें तथा प्राकृतिक व मानव जनित विपत्तियों से उत्पन्न ऊर्जा संकट का सामना कर सकें।

भारत इस कार्यक्रम के लिए सक्रिय रूप से योगदान देता है तथा इससे बड़ी मात्रा में सहायता भी प्राप्त करता है। इस कार्यक्रम के प्रारम्भ से लेकर 1984 तक भारत इस कार्यक्रम के लिए 98 लाख 80 हजार अमरीकी डालर का अंशदान करने के लिए वचनबद्ध है। भारत की ओर से वर्तमान अंशदान चाय, चीनी, सुखाई गई मछली और चावल जैसी वस्तुओं के रूप में होता है। भारत में 51 विकास परियोजनाओं व 13 आपातकालीन अभियानों के क्रियान्वयन के लिए भारत को 1963 से 1 जून, 1983 तक 57.54 करोड़ अमरीकी डालर की सहायता का आश्वासन मिला। इसमें से 33 करोड़ 34 लाख 40 हजार अमरीकी डालर की 39 विकास परियोजनाएं व 13 आपातकालीन अभियान पूर्ण हो चुके हैं। शेष 24 करोड़ 9 लाख 50 हजार अमरीकी डालर का आश्वासन अभी चल रही सात विकास परियोजनाओं तथा पांच पोषण अंतराथक परियोजनाओं (न्यूट्रिशन इंटरवेंशन प्रोजेक्ट) के लिए है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम से सहायता प्राप्त चालू मुख्य आर्थिक व सामाजिक विकास परियोजनाएं निम्नांकित हैं :

### राजस्थान नहर परियोजना

विश्व खाद्य कार्यक्रम राजस्थान नहर के निर्माण पर लगे हुए श्रमिकों को 1968 से खाद्य सहायता दे रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता के पहले दो चरण मई, 1979 तक पूर्ण हो चुके थे। तीसरा चरण अगस्त, 1980 में प्रारम्भ हुआ। तीनों चरणों में दी जाने वाली सहायता राशि लगभग 2 करोड़ 10 लाख अमरीकी डालरों के बराबर है। परियोजना के वर्तमान चरण के अंतर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दिया गया खाद्यान्न प्रतिदिन औसतन 30,000 श्रमिकों को बाजार भाव की आधी कीमत पर बेचा जाता है। इस विक्रय से प्राप्त 4 करोड़ 95 लाख रुपये की राशि श्रमिकों के लिए सामाजिक आवश्यकता की वस्तुओं को जुटाने तथा परियोजना क्षेत्र के विकास पर, जिसमें कि इस क्षेत्र में एक अलग पुनर्वास परियोजना के अन्तर्गत बसने वाले मजदूरों को ऋण दिया जाना शामिल है। निर्माण कार्य के दौरान एक ओर जहां रोजगार 12 करोड़ श्रम-दिवस उत्पन्न होंगे वहीं दूसरी तरफ नहर के तैयार हो जाने पर 12 लाख 60 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा दी जा सकेगी।

### सिंचाई बनाम कमान क्षेत्र विकास परियोजना

विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कर्नाटक व महाराष्ट्र में दो अलग-अलग सिंचाई व कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 3 करोड़ 23 लाख अमरीकी डालर मूल्य का 1,02,630 मी० टन गेहूं, 3,100 मी० टन मलाई रहित शुष्क दूध तथा 2,800 मी० टन खाद्य तेल देने का आश्वासन दिया है। यह खाद्यान्न कर्नाटक में मालप्रभा और ऊपरी कृष्णा (चरण I) सिंचाई योजनाओं तथा महाराष्ट्र में जयकवाड़ी व भीमा सिंचाई योजनाओं में कार्यरत श्रमिकों को रियायती दर पर बेचा जाएगा। इन दो परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के 10 करोड़ 70 लाख श्रम-दिवस जुटाए जाएंगे। खाद्यान्नों की बिक्री से प्राप्त हुई 8 करोड़ 52 लाख रुपये की धनराशि दोनों राज्यों में आधारभूत सुविधाएं जुटाने तथा श्रमिकों की सामाजिक आवश्यकता की वस्तुओं पर व्यय की जाएगी।

### वानिकी के माध्यम से विकास

इस परियोजना के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम से 3 करोड़ 35 लाख अमरीकी डालर मूल्य का 92,531 मी० टन गेहूं, 7,825 मी० टन खाद्य तेल, 4,320 मी० टन दालें तथा 500 मी० टन मलाई रहित शुष्क दूध का आश्वासन मिला है। विश्व खाद्य कार्यक्रम 1971 से इस परियोजना में सहायता दे रहा है। यह खाद्यान्न महाराष्ट्र के आठ जिलों में जंगल साफ करने, सागौन व लकड़ी की अन्य प्रजातियों के रोपण में लगे श्रमिकों की मजदूरी के आंशिक भुगतान व उनकी आधारभूत जरूरतों से संबंधित सुविधाओं के विकास पर व्यय किया जाएगा। इस श्रम प्रधान कार्य से रोजगार के अनुमानतः लगभग 5 करोड़ 30 लाख श्रम दिवस तैयार होंगे। खाद्य सहायता से संचित हुई राशि श्रमिकों की आर्थिक व सामाजिक आवश्यकता की सुविधाओं के विकास पर व्यय की जा रही है।

### राजस्थान नहर क्षेत्र में नए बसने वालों के लिए कार्यक्रम

पांच वर्षों से अधिक समय से इस क्षेत्र की 19,000 हैक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने व उसमें खेती करने में लगे 30 हजार

परिवारों को यहां बसने के शुरू के 18 महीनों के दौरान 31,018 मी० टन गेहूं, 2,482 मी० टन खाद्य तेल व इसी मात्रा में दालें नि:शुल्क दी जाएंगी। विश्व खाद्य कार्यक्रम यह सहायता इस क्षेत्र को कृषि भूमि का रूप देने की प्रक्रिया व यहां बसने की गति को तेज करने के उद्देश्य से दे रहा है। इस पंचवर्षीय परियोजना के दौरान सरकार कमान क्षेत्र की 1,90,000 हैक्टेयर भूमि में 6.32 हेक्टेयर प्रत्येक के 30,000 निजी फार्मों को कच्ची नालियों द्वारा जल सुविधा उपलब्ध कराने का इरादा रखती है।

दो करोड़ रुपये की राशि जिसे, राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत किसी निश्चित कार्य पर खर्च नहीं किया जा सका, इस परियोजना के अन्तर्गत नए बसने वालों को अपनी भूमि का विकास करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए चालू निधि के रूप में उपयोग की जाएगी।

## पूरक पोषण कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा चलाए गए देशव्यापी पूरक पोषण कार्यक्रम को विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम मार्च, 1976 से सहायता दे रहा है। विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम द्वारा इस परियोजना को दी जाने वाली कुल सहायता 11 करोड़ 40 लाख अमरीकी डालर मूल्य की बैठती है। विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम से प्राप्त होने वाले 2,27,622 मी० टन सोया फोर्टिफाइड वल्गर, 14,337 मी० टन गेहूं, 24,262 मी० टन तेल और 1,811 मी० टन मलाई रहित शुष्क दूध का उपयोग डिब्बा बंद भोजन तैयार करने पर किया जाएगा। यह भोजन वर्ष के 270 दिवसों के दौरान लगभग 12,000 पूरक पोषण कार्यक्रम केन्द्रों के माध्यम से निम्न आय वर्ग के 18 लाख विद्यालय पूर्व आयु के बच्चों व 2 लाख गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को दिया जाना है। लाभान्वित होने वाले लोग मुख्यत: शहरी गंदी बस्तियों तथा दस राज्यों—असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के सूखाग्रस्त ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों के हैं। इस परियोजना के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता तीसरे चरण में है।

इस परियोजना का अगला चरण दिसम्बर, 1983 के अंत में शुरू होगा जिसमें हरियाणा व जम्मू कश्मीर को शामिल किया जाएगा तथा इसके लिए विश्व खाद्य संगठन से 6 करोड़ 50 लाख 27 हजार अमरीकी डालर मूल्य का 1,30,595 मी० टन संवर्द्धित (फोर्टिफाइड) सोयाबीन व गेहूं तथा 15,455 मी० टन खाद्य तेल का आश्वासन मिला है। परियोजना के इस चरण से 12 राज्यों के 21 लाख 20 हजार लोगों को तीन वर्ष तक लाभ मिलेगा।

## शिक्षा व समाज कल्याण संस्थान

विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में शिक्षा व समाज कल्याण संस्थानों के लिए शुरू की गई तीन अन्य पोषण अवरोध अंतरायक परियोजनाओं (न्यूट्रिशन इंटरवेंशन प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत 2 लाख 20 हजार लोगों के लिए गेहूं, मलाई रहित शुष्क दूध व खाद्य तेल उपलब्ध कराया है। इन तीनों परियोजनाओं पर विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा लगभग 2 करोड़ 85 लाख अमरीकी डालर खर्च करने का अनुमान है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की खाद्य सहायता के फलस्वरूप होने वाली वित्तीय बचत (7 करोड़ 51 लाख रुपये) के 75 प्रतिशत भाग का उपयोग दोनों राज्यों में लाभान्वित होने वाले संबंधित संस्थानों में सुविधाओं के विकास पर पहले ही खर्च किया जा चुका है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने खाद्यान्नों की जितनी मात्रा के लिए आश्वासन दिया था सब तीनों परियोजनाओं को प्रदान किया जा चुका है।

## समन्वित ग्रामीण विकास

विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हरियाणा महेन्द्रगढ़ जिले के बहु-आयामी ग्रामीण विकास के लिए अत्यावश्यक सामाजिक व आर्थिक आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में श्रमिकों में उनकी मजदूरी के आंशिक भगतान के रूप में वितरण के लिए लगभग 80 लाख अमरीकी डालर मूल्य के 20,000 मी० टन गेहूं, 2,000 मी० टन खाद्य तेल व इतने ही मूल्य की दालें देने का आश्वासन दिया है। इस श्रम प्रधान कार्य से रोजगार के 97 लाख श्रम दिवस जुटाए जा सकेंगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा प्रदत्त खाद्य सहायता के परिणामस्वरूप बची हुई निधि का उपयोग जिले में और अधिक सामाजिक व आर्थिक विकास पर किया जाएगा।

परियोजना के प्रथम चरण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा हाल ही में अनुमोदित चरण भी 1983 की अंतिम तिमाही तक शुरू हो जाएगा।

## वर्ष 1982–83 में भारत को सहायता प्राप्त

एक अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1983 तक की अवधि के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम के विभिन्न चार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार को निम्नलिखित खाद्य सामग्रियां दी :—

| वस्तु | मात्रा (टनों में) | अनुमानित सी० आई० एफ० लागत (अमरीकी डालरों में) | रुपयों में* |
|---|---|---|---|
| बटर आयल | 200 | 5,50,000 | 51,37,000 |
| दूध का पाउडर | 850 | 8,67,000 | 80,97,780 |
| वनस्पति तेल फोर्टीफाइड | 2,581 | 32,26,250 | 3,01,33,175 |
| सोयाबीन | 15,096 | 63,40,320 | 5,92,18,588 |
| गेहूं | 43,540 | 1,00,14,200 | 9,35,32,628 |
| दालें | 550 | 3,41,000 | 31,84,940 |
| | 62,817 | 2,13,38,770 | 19,93,04,111 |

*1982–83 के दौरान संयुक्त राष्ट्र विनियम दर थी—
1 अमरीकी डालर—9.34 रुपये। □

# स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन की ओर

मणिपुर राज्य के गांवों की महिलाएं और बच्चे सरकार द्वारा प्रायोजित व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम से लाभ उठा कर अच्छे स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने अपने आहार की किस्म को बेहतर बनाने और अधिशेष उत्पादन से कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए बाग-बानी और घर के पिछवाड़े मुर्गी-पालन आरम्भ कर दिया है।

राज्य के 26 खण्डों में गांव के लोगों को 445 छोटे बगीचे और 118 कुक्कुट-पालन इकाईयां स्थापित करने और 35 मछली पकड़ने के तालाबों के नवीनीकरण में सहायता दी गई। पिछले वर्ष के दौरान 30 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को अपनी आय में वृद्धि करने के लिए फ्लाई-शटल करघे उपलब्ध कराए गए। अनुसूचित जाति की 415 महिलाओं को आय उपार्जक गतिविधियों में सहायता दी गई। चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में ही अनुसूचित जाति के 180 परिवारों और अनुसूचित जन जाति के 2647 परिवारों को अपनी स्थिति में सुधार के लिए आर्थिक सहायता दी गई।

महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली ग्रामीण मण्डियों में स्वच्छता में सुधार लाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया है और अन्य छह केन्द्रों का निर्माण अन्तिम चरण में है। 195 महिला मंडलों को विशेष अनुदान दिया गया है तथा 30 और मंडलों को इस अनुदान के लिए चुना गया है।

सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 8,420 युवक मंडलों को प्रशासनिक अनुदान उपलब्ध कराने का लक्ष्य निश्चित किया है। ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान ने 500 ग्रामीण महिलाओं को सम्बद्ध महिला कार्यकर्ताओं, दर्जी, कढ़ाई करने वाली रीलें तैयार करने वाली और रंगरेज महिलाओं के रूप में, प्रशिक्षित किया है। साथ ही इस संस्थान ने 100 ग्राम-सेविकाओं और 13 विस्तार अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया है। ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत 300 और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। □

# बाल पोषण

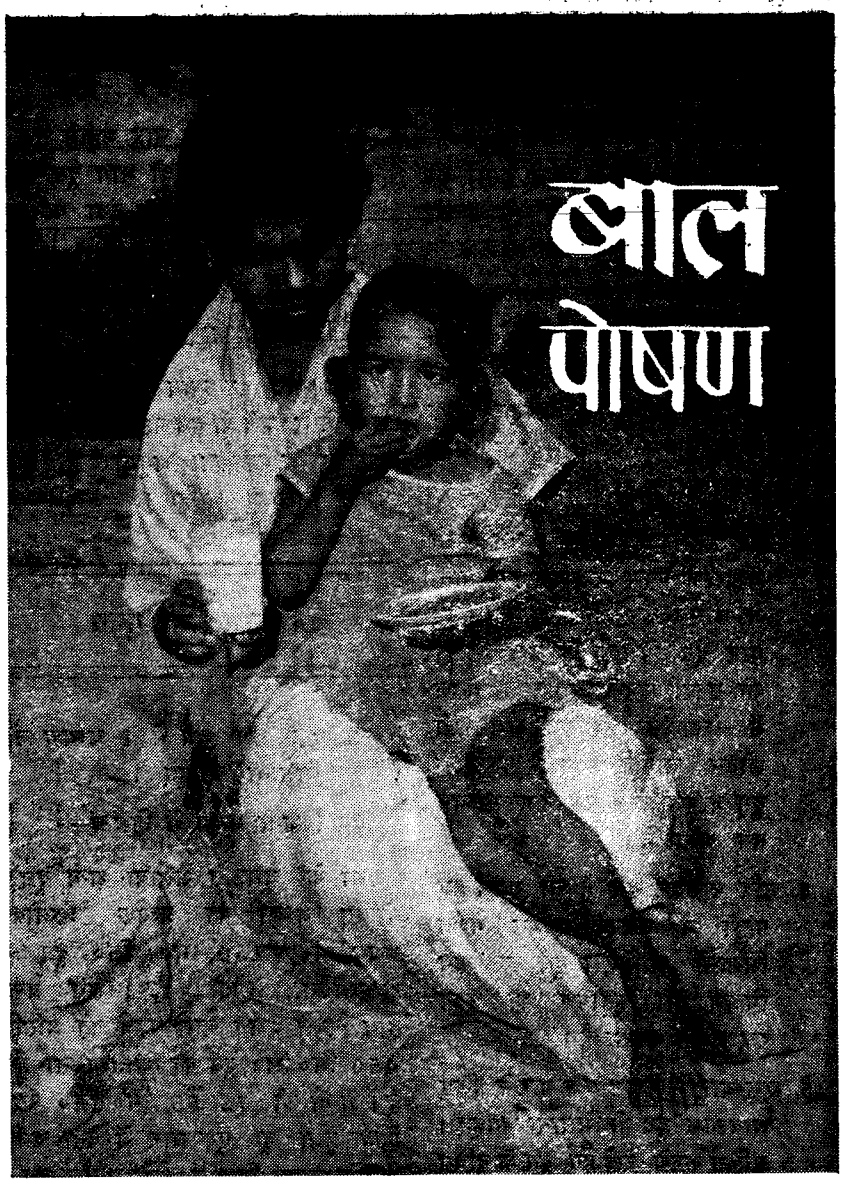

बच्चों का पोषण वैज्ञानिकों के लिए चिन्ता का विषय बनता जा रहा है, इसका कारण यह है कि बच्चे विशेष रूप से कुपोषण का शिकार हैं। पहले पांच वर्ष में होने वाली शारीरिक वृद्धि एवं विकास ही शक्तिवर्धक पोषाहार की आवश्यकता के द्योतक हैं। इसके विपरीत देश के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि स्कूल पूर्व के बच्चों का आहार गुण व मात्रा दोनों ही दृष्टि से कमजोर है। स्पष्ट है कि उन्हें दी गई आहार की अल्प मात्रा विकसित होते हुए शरीर की आवश्यकता की किसी तरह भी पूर्ति नहीं कर सकती।

वृद्धि एवं आवश्यकता के आधार पर बच्चों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

(क) शिशु
(ख) स्कूल-पूर्व आयु के बच्चे
(ग) स्कूली बच्चे।

शिशुओं तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों की शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है। इस आयु में होने वाली वृद्धि की दर की तुलना बाद के जीवन काल में होने वाली वृद्धि दर से नहीं की जा सकती। बढ़ते हुए शरीर में आधार भूत पदार्थों की मांग बढ़ जाती है जिसकी नियमित पूर्ति के लिए बढ़िया पोषाहार बच्चों के लिए आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार शिशुओं तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों का पोषण महत्वपूर्ण हो उठता है।

शिशुओं का पोषण सामान्यतः निम्न तीन प्रकार से किया जाता है :—

1. स्तन पान
2. अन्य तरीकों से पोषण
3. पूरक पोषण

**स्तनपान**—स्तनपान अबोध शिशु के पोषण का सबसे बढ़िया स्वाभाविक तरीका है। वैज्ञानिक प्रमाण दर्शाते हैं कि मां के दूध की संरचना गाय के दूध से कई मायनों में भिन्न है। मां के दूध की विशेष पौष्टिकता काफी समय से सर्वमान्य है। यह सुपाच्य एवं सुग्राह्य होता है। इसमें स्वाभाविक असंक्रामक गुण होते हैं। विकासशील देशों में अच्छे व स्वच्छ आहार की कमी तथा स्पर्श-रोगों की संभावनाएं अधिक हैं। इसलिए मां के दूध का रक्षात्मक गुण इन देशों में विशेष महत्व रखता है।

स्तनपान कराने के कई लाभ हैं। कुछ लाभ निम्नलिखित हैं।

1. मां का दूध बच्चों के लिए उत्तम प्राकृतिक आहार है।
2. मां का दूध सदैव स्वच्छ होता है।
3. मां का दूध बीमारियों से बच्चों की रक्षा करता है।
4. मां का दूध हर समय उपलब्ध रहता है तथा किसी प्रकार की विशेष तैयारी की जरूरत नहीं होती।
5. बच्चें के लिए मां का दूध प्रकृति दत्त उपहार है जिसे खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
6. स्तनपान कराने से मां व बच्चे के बीच एक विशेष सम्बन्ध स्थापित होता है।
7. स्तनपान कराने से माता-पिता बच्चों के जन्म में अंतर रख सकते हैं।

**अन्य तरीकों से पोषण**—यदि किसी कारणवश मां का दूध नहीं उतरता अथवा बच्चे को जन्म देते समय मां की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में कृत्रिम पोषण का सहारा लेना पड़ता है। यदि बच्चे को दूध बोतल द्वारा पिलाया जाता है तो

ऐसी अवस्था में थोड़ी सी असावधानी भी खतरनाक हो सकती है । इस प्रकार के पोषण के खतरों से बच्चों के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए ।

1. दूध तैयार करने से पहले हाथों को साबुन व स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए ।
2. दूध पिलाने के लिए बोतल के स्थान पर चम्मच, कटोरी अथवा गिलास आदि का प्रयोग करना चाहिए । यह बर्तन बोतल की अपेक्षा अधिक आसानी से अच्छी तरह साफ किए जा सकते हैं ।
3. यदि बोतल का प्रयोग करते हैं तो बोतल व निपल को अच्छी तरह पानी में उबाल कर धोना चाहिए । हर बार दूध पिलाने के बाद बोतल की सफाई करनी चाहिए । बोतल में थोड़ा सा भी दूध शेष नहीं छोड़ना चाहिए । ऐसा करने से दूध जीवाणुओं के पनपने का माध्यम बन जाता है ।
4. यदि पाउडर दूध है तो उबले हुए पानी में उसकी उचित मात्रा मिलानी चाहिए । दूध का कम मिश्रण भी कुपोषण का मुख्य कारण हो सकता है ।
5. एक बार में केवल एक बार के लिए आवश्यक दूध ही मिलाना चाहिए । संचित करके रखे हुए दूध के दूषित होने का भय रहता है ।
6. यदि परिवार बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध खरीदने में असमर्थ है तो ऐसे बच्चे को कुछ अर्ध-ठोस आहार देकर उसकी आवश्यकता को पूरा करना चाहिए ।

गाय व भैंस का दूध किस प्रकार प्रयोग करें—

1. सबसे पहले दूध को उबालना चाहिए । ऐसा करने से दूध सुरक्षित तथा सुपाच्य हो जाता है ।
2. छोटे बच्चों को दूध पतला/हल्का करके देना चाहिए । यदि गाय का दूध हो तो निम्न मात्रा देनी चाहिए ।

—पंद्रह दिन तक के बच्चे के लिए एक भाग दूध में एक भाग उबाला हुआ ठंडा पानी ।

—दो सप्ताह से चार महीने तक के बच्चे के लिए दो भाग दूध में एक भाग उबाला हुआ ठंडा पानी ।

—चार महीने से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए बिना पानी का उबाला हुआ दूध ।

इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खरीदने से पहले ही दूध पतला हो सकता है । इसलिए आवश्यकता अनुसार ही दूध में पानी मिलाना चाहिए ।

---

**डा० शशि प्रभा गुप्ता**

---

3. एक कप दूध में 1 चम्मच चीनी मिलानी चाहिए ।

दूध कितनी मात्रा में पिलाएं—

मां के दूध से अलावा अन्य दूध से पोषित बच्चों को प्रत्येक किलोग्राम वजन पर 150 मि० लि० दूध की आवश्यकता होती है । इस प्रकार तीन किलो वजन वाले बच्चे को प्रतिदिन 450 मि० लि० दूध की आवश्यकता होती है । बच्चे को 75–55 मि० लि० पतला किया हुआ दूध एक बार में देना चाहिए क्योंकि बच्चा दिन में 6 से 8 बार दूध की जरूरत महसूस करता है ।

थोड़े से बड़े बच्चों को दिन में पांच बार दूध देना चाहिए । पांच महीने के सात किलो वजन वाले बच्चे को प्रत्येक बार 210 मि० लि० दूध देने की आवश्यकता होती है ।

अन्य दूध का सहारा लेते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:—

—कि 18–24 माह की आयु तक के बच्चों के लिए मां का दूध सर्वोत्तम आहार है ।

—कि गाय के दूध से तैयार किया गया आहार उतना गुणकारी नहीं होता जितना कि मां का दूध ।

—कि पाऊडर दूध से आहार तैयार करने का तरीका अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए ।

—कि बच्चे को पाऊडर दूध की उचित मात्रा देना बहुत मंहगा पड़ता है ।

पूरक पोषण—मां का दूध सर्वोत्तम आहार है अत: स्तनपान को बढ़ावा देना चाहिए । चार-पांच महीने के पश्चात् केवल मां का दूध बच्चे के उचित विकास के लिए पर्याप्त नहीं होता । दूसरे प्रकार के आहार भी आवश्यक हो जाते हैं ।

बढ़ते हुए बच्चे को मां के दूध के अतिरिक्त भी अन्य आहार की जरूरत होती है जो उसके बढ़ते हुए शरीर की मांग की पूर्ति कर सके । अधिकतर प्रचलित आहार को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है ।

1. अनाज—गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, तथा ज्वार आदि ।
2. दालें—दालें, मसूर, मटर फलिया ।
3. पत्तीदार हरी सब्जियां, सब्जियां एवं फल ।
4. मांस, अंडे, मछली तथा दूध
5. तैलीय पदार्थ तथा चीनी ।

पहले तीन वर्गों के आहार सभी विकसित होते हुए बच्चों को देने चाहिए । यदि संस्कार आड़े न आएं और माता-पिता दे सकें तो बच्चे को थोड़ी मात्रा में मांसाहार भी दिया जा सकता है । घी, तेल, आहार को नरम तथा स्वादिष्ट बनाते हैं और अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं ।

छ: महीने की आयु तक के शिशुओं का आहार—

बच्चे का पहला आहार उस अनाज से तैयार करना चाहिए जो उसके समुदाय का मुख्य भोजन हो । अनाज को अच्छी तरह पका कर मथ लेना चाहिए । ध्यान रखें कि आहार नरम व रेशामुक्त हो । सुविधानुसार दूध या पानी मिला कर आहार को पतला भी किया जा सकता है । जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो वैसे-वैसे आहार को ठोस बनाते रहना चाहिए । गाढ़ा आहार पतले

आहार की अपेक्षा अधिक पोषक होता है। यदि आहार में थोड़ी चीनी मिला दी जाए तो यह बच्चे को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करती है।

शुरू में बच्चे को अतिरिक्त आहार मां के दूध से पहले देना चाहिए जब कि वह भूखा हो। जब वह खाना सीख जाए तो मां का दूध पहले या दो आहारों के बीच के समय में देना चाहिए। यदि संभव हो सके तो पूरे दो वर्ष बच्चे को मां का दूध पिलाना चाहिए।

जब बच्चा कोई नया आहार लेना सीख रहा हो तो दो छोटे चम्मच काफी हैं। धीरे-धीरे बढ़ा कर यह मात्रा तीन बड़े चम्मच कर देनी चाहिए। यदि इससे अधिक मात्रा बच्चा खा सकता है तो अधिक देना चाहिए। यदि बच्चा इतनी मात्रा भी नहीं खा पाता तो उसे थोड़ा-थोड़ा करके दो बार में खिलाना चाहिए। बच्चे के लिए दूसरी बार के आहार की बची हुई मात्रा को अत्यंत सावधानी से दूध व मक्खियों से बचा कर रखना चाहिए और एक से डेढ़ घंटे से ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए।

छः महीने से एक वर्ष की आयु तक के बच्चे का आहार :—

छः महीने का शिशु कई प्रकार के आहार ले सकता है। बच्चा एक बार अनाज का अर्ध ठोस आहार खाना शुरू कर दे तो उसे पकी हुई दालें तथा सब्जियां अन्न के साथ मिला कर अथवा अलग से देनी चाहिए बच्चे को खिलाने में जबर्दस्ती नहीं करनी चाहिए।

यदि परिवार मांसाहारी है तो मांस या मछली को बहुत बारीक काट कर बच्चे का आहार तैयार करना चाहिए। थोड़ा उबला हुआ अंडा भी दिया जा सकता है। दूध व दही की थोड़ी मात्रा भी बच्चे के लिए हितकारी है। यदि शाकाहारी भोजन की पर्याप्त मात्रा बच्चे को दी जाती है तो मांसाहारी आहार की विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती। एक नया आहार देने के कुछ दिन बाद ही बच्चे को दूसरा आहार देना चाहिए।

स्कूल पूर्वायु बच्चे :

एक साल के बच्चे आम तौर पर उस भोजन को खाने योग्य हो जाते हैं जो कि परिवार के लिए बनता है। दूसरे शब्दों में बच्चा परिवार के भोजन में सहभागी हो जाता है। बच्चे का आहार कम से कम तीन विभिन्न सामग्रियों से बनना चाहिए। थोड़ा सा भोजन अलग प्लेट में डाल कर बच्चे को देने से उसकी खुराक का पता चलता है। खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखें और मसाले आदि डालने से पहले ही बच्चे के लिए थोड़ा भाग अलग निकाल लें।

बच्चा बड़ों की अपेक्षा धीरे-धीरे खाता है अतएव बच्चे को परिवार के अन्य सदस्यों से पहले खाना खिला देना चाहिए। दो साल के बच्चे की खुराक एक वयस्क की खुराक से आधी होती है। बच्चे को अलग प्लेट में खाना देना ठीक रहता है। यदि बच्चा बीमार हो और उसे भूख न लगती हो तो उसके खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ऐसे समय में बच्चे को पर्याप्त पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है।

स्कूल पूर्वायु के बच्चों का संतुलित आहार निम्न तालिका में दिया गया है।

| खाद्य सामग्री | 1—3 वर्ष | 4—6 वर्ष |
|---|---|---|
| | ग्राम प्रतिदिन | |
| अनाज . | 175 | 270 |
| दालें . | 35 | 35 |
| पत्तीदार सब्जियां | 40 | 50 |
| अन्य सब्जियां | 20 | 30 |
| कन्दमूल . | 10 | 20 |
| दूध . | 300 | 250 |
| तेल एवं वसा | 15 | 25 |
| चीनी अथवा गुड़ | 30 | 40 |

बच्चों को सभी चीज खाने की अच्छी आदत डालनी चाहिए क्योंकि विभिन्नता लिए आहार सदा पोषक होता है। भुने हुए मटर, चना, गुड़ तथा अंकुरित दाल का बच्चों के आहार में विशेष महत्व है। भुने हुए मटर या चने गुड़ के साथ लगातार एक महीने तक बच्चे को खिलाने से उसके स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है।

स्कूली बच्चे—शारीरिक श्रम, बढ़ते हुए शरीर तथा स्कूल जाने व पढ़ने के कारण स्कूली बच्चे की आहार सम्बन्धी आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। इस समय बच्चे की खाने-पीने की आदतों में परिवर्तन लाना आवश्यक हो जाता है। स्कूल जाने के कारण बार-बार खाना संभव नहीं होता और दोपहर में खाने के लिए दिया गया भोजन अपेक्षाकृत शुष्क होता है। स्कूल में ले जाए जाने वाला भोजन एक रस ब असंतुलित न हो इसलिए बदल-बदल कर नीचे दी गई खाद्य सामग्री तैयार करके बच्चे को दी जा सकती है।

1. पौष्टिक रोटी (गेहूं, बेसन, पत्तेदार सब्जी तथा घी,) पुदीने की चटनी व आम, अमरूद, केला आदि मौसमी फल।
2. सब्जी का पराँठा, अंकुरित मूंग की चाट, गाजर।
3. चावल-दाल, चीला, आलू की सब्जी, मूंगफली।
4. अंकुरित मूगें, सैण्डविच, टमाटर, खीरा, ककड़ी।
5. दलिया, अंकुरित दालें और सब्जियां, चने मुरमुरे के लड्डू आदि।

अनुवाद

**कुमारी अलकेश त्यागी**

सैक्टर-6

क्वार्टर नं०-331

नई दिल्ली-110022

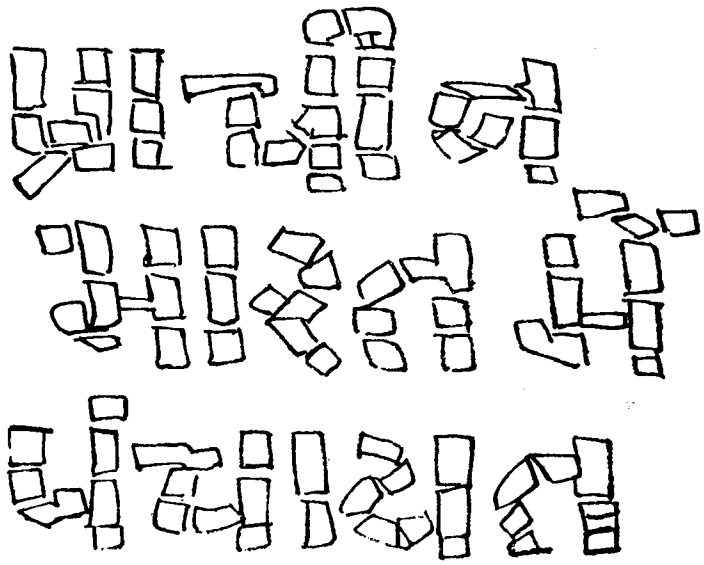

मदन गोपाल शर्मा

हमारे देश में पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि वैदिक काल में भी पंचायतों का अस्तित्व था। उस जमाने में राजा पंचायतों के माध्यम से राज करता था। ग्राम के प्रमुख को उस समय ग्रामीणी कहा जाता था तथा ग्रामीणी ही पंचायत का प्रमुख कार्यकर्ता होता था। बौद्ध काल में भी ग्राम परिषदें होने का उल्लेख मिलता है। बौद्धकालीन साहित्य से पता चलता है कि ग्राम परिषदों का प्रमुख काम ग्राम भूमि की व्यवस्था करना व शांति सुरक्षा में सहयोग प्रदान करना था। स्मृति ग्रन्थों में भी पंचायतों का उल्लेख मिलता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि वैदिक व बौद्ध काल में पंचायतें ग्रामीण जन हित के कार्यों में संलग्न थीं। रामायण, महाभारत काल में काफी विस्तार व विकास हो चुका था। पंचायतें गांव स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हुआ करतीं थीं।

चाणक्य के समय तक पंचायतों का कार्य क्षेत्र काफी व्यापक हो चुका था। पंचायतों को काफी अधिकार प्राप्त थे तथा पंचायत के कार्यों में ग्रामीण लोग काफी रुचि लेकर सहयोग प्रदान करते थे। चाणक्य ने ग्राम को एक राजनैतिक इकाई माना है। चाणक्य के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'अर्थ-शास्त्र' में ग्रामिक का उल्लेख आता है। ग्रामिक ग्राम के प्रमुख को कहते थे। पंचायत में ग्रामिक का महत्वपूर्ण स्थान था तथा उसे काफी अधिकार प्राप्त थे। ग्राम पंचायत की एक सार्वजनिक निधि भी हुआ करती थी, जिसमें जुर्माने दण्ड आदि के रूप में प्राप्त धन जमा होता था। हर्ष के शासन काल में भी लगभग ऐसी ही व्यवस्था थी। तत्कालीन शिला लेख से पता चलता है कि नवीं तथा दसवीं शताब्दी में दक्षिण में भी पंचायतों की व्यवस्था थी। शासन एक महासभा द्वारा चलाया जाता था जिसके सदस्यों को गांव के लोग चुनते थे। महासभा के सदस्य विभिन्न समितियां बना कर काम करते थे। न्याय का काम भी उस जमाने में पंचायतों के पास था।

मुस्लिम और मराठा काल में भी किसी न किसी रूप में पंचायतों का अस्तित्व था। पंचायत प्रणाली का मूल भाव ग्रामों को स्वायत्ता प्रदान करना रहा है। यह स्वायत्ता अंग्रेजों के आने से पूर्व तक काफी कुछ अंशों में विद्यमान थी। यही कारण था कि देश के राजनैतिक, आर्थिक व समाजिक जीवन में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहीं थीं। ग्राम पंचायतों के महत्वपूर्ण कार्य थे—गांव की समान्य सफाई, कुओं की मरम्मत का कार्य, पैंठ, बाजार व मेलों की व्यवस्था, चरागाहों की व्यवस्था, जन्म मत्यु का हिसाब रखना, बीमारियों की रोकथाम के सामान्य प्रबन्ध तथा ग्राम सुरक्षा आदि। पंचायतें हमारे जन जीवन का अभिन्न अंग रहीं हैं। प्राचीन भारत में गांव लगभग पूरी तरह स्वावलम्बी थे। प्रेम और सद्भाव के वातावरण में पंचायतों ने काफी उपलब्धियां प्राप्त कीं थीं परन्तु अंग्रेजी शासन काल ने पंचायतों को खोखला बना दिया, पूरी व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो गई। अंग्रेजी शासन काल में सुदृढ़ पंचायत व्यवस्था को तोड़ने के सुनियोजित प्रयास किए गए तथा विदेशी शासकों के षड़यंत्रों के परिणामस्वरूप पंचायतों ने बिरादरी की पंचायतों का रूप ले लिया। प्रत्येक जाति व वर्ग की अलग पंचायत बन गई जो उनके सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि दिखाने को बिरादरी की पंचायतों के मामले में अंग्रेजी शासन काल में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था पर प्रकारान्तर से अंग्रेज बिरादरी की पंचायतों को प्रोत्साहित करते रहे जिससे हमारा सुगठित समाज वर्गों में बंट गया। पंचायत के इतिहास में यह काल सबसे अधिक घातक सिद्ध हुआ, इसी का परिणाम है कि आज तक पंचायतों को पूरी तरह पुनर्जीवित व सक्रिय नहीं बनाया जा सका है।

बाद में 1907 में अंग्रेजों ने भी पंचायत के महत्व को समझा तथा 1920 में सभी प्रांतों में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए गए। इस अधिनियम के अधीन पंचायतों

का गठन तो किया गया परन्तु उन्हें बहुत सीमित अधिकार दिए गए। प्रारम्भ में पंच जनता द्वारा न चुने जाकर सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे। न्यायिक अधिकार नाम मात्र को दिए गए थे। अंग्रेजों द्वारा पंचायतों के गठन के पीछे प्रमुख इरादा यह था कि गांव में पंचायतों के माध्यम से शासन प्रबंध कड़े किए जा सकें तथा स्वाधीनता संग्राम सेनानियों द्वारा किए गए आन्दोलन को पंचायत के माध्यम से कुचला जा सके। यद्यपि अंग्रेज अपने इरादे में सफल नहीं हो पाए फिर भी इतना अवश्य है कि पंचायतें शासन की एक बिखरी हुई इकाई होने के कारण स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान जन जागरण का केन्द्र नहीं बन सकीं।

पंचायतें भारतीय सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला ह। इनको मजबूत व स्वावलम्बी बनाकर हम नए भारत के निर्माण की कल्पना कर सकते हैं। भारत गांवों का देश है। ग्रामों का विकास यदि समता और समन्वय के साथ होता है तो निश्चित रूप से यह पूरे देश का विकास है।

स्वाधीनता के पश्चात् पंचायती राज्य की व्यवस्था की दिशा में अनेक रचनात्मक कदम उठाए गए हैं तथा पंचायतों को काफी व्यापक अधिकार भी दिए गए हैं परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि पंचायतों में भी राजनीति [illegible] है, इससे [illegible] को [illegible] नहीं पाया है। ग्राम [illegible] सतत ध्यान देने तथा गांवों का सर्वांगीण विकास करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि पंचायतें दल विहीन हो तथा सच्चे प्रेम और सद्भाव के वातावरण में वे काम करें जैसा कि प्राचीन भारत में पंचायतें करतीं थीं। □

69 अनुपम नगर, नोलखा परेड,
ग्वालियर-474011

---

# वृक्षारोपण

वृक्षों को उपजाकर, मेरा देश समृद्ध कर दो।
देश खुशहाल बनाकर, इसे और सम्पन्न कर दो।
खिल जाए गुलशन की फुलवारी,
खुश हों जिसे देख, ये दुनिया सारी,
नीम, जामुन, पीपल, शीशम लगाकर—
वातावरण को शुद्ध कर दो।
वृक्षों को.........।
आओ सब मिलकर के, यह काम करें हम।
बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दें हम।
इस धरा को हरा-भरा करके—
रेगिस्तान खत्म कर दो।

वृक्षों को......
कोयल कूक उठे, मयूर नाच उठे वन में।
पपीहा पीऊ-पीऊ करे, जब मेघ देखे नभ में।
वृक्षारोपण कर—
वन सम्पदा अधिकतम कर दो।
वृक्षों को———
अकाल पड़े नहीं, अनाज महंगा न हो,
कुंजों में लताएं आलिंगन लिए पड़ी न हो,
उद्योग धन्धे बढ़ाकर—
बेरोजगार खत्म कर दो।
वृक्षों को.......

सरोज खन्ना
60, 61 यू० ए०,
जवाहर नगर,
दिल्ली-110007।

# रक्तदान

महाराज

उस वर्ष मसूर तथा चना का भाव आसमान छूने लगा था। दोनों 450 रुपये प्रति क्विंटल के आस-पास बिक रहे थे। माधवसिंह चौधरी के पास 100 बोरे चना तथा 110 बोरे मसूर रखी थी। उन्होंने एक साथ पूरा माल मण्डी ले जाकर बेच दिया और लगभग एक लाख रुपये प्राप्त किए। उनके पुत्र ज्ञान सिंह ने उन्हें सलाह दी कि "वह सब रुपये बैंक में जमा कर दें। इतनी बड़ी रकम घर ले जाना तथा घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। बैंक में जमा करने से एक तो रकम सुरक्षित रहेगी, दूसरे, उस पर ब्याज भी मिलेगा।" किन्तु चौधरी को बेटे की यह सलाह पसन्द न आई और वह सब रुपये घर ले आया।

एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि एक रात्रि एक सशस्त्र डाकू दल ने चौधरी के घर पर आक्रमण कर दिया। संयोग की बात कि उस रात्रि चौधरी घर पर नहीं था—वह किसी आवश्यक कार्य हेतु पड़ौस के गांव में गया था। डाकुओं ने ज्ञान को पकड़कर उससे मसूर तथा चनों के रुपये मांगें। रुपये ज्ञान की जानकारी में नहीं थे। वे पिता के पास अथवा पिता की जानकारी में थे। रुपये पाने के लिए डाकुओं ने ज्ञान को इतना मारा कि वह घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया तथा उसके शरीर से ढेर सारा खून निकल गया। डाकू घर की सारी सम्पत्ति जेवर, सोना चांदी, रुपये पैसे आदि जो कुछ भी मिला, लूटकर ले गए। ज्ञान को बेहोशी हालत में ही अस्पताल पहुंचाया गया।

ज्ञान को अस्पताल में आए लगभग 6 घंटे हो चुके थे। उसकी हालत प्रति-पल गिरती जा रही थी। उसे रक्त देने की आवश्यकता थी, किन्तु रक्त अस्पताल में मौजूद नहीं था। चौधरी ने अपना रक्त देना चाहा, किन्तु उसका रक्त ज्ञान के वर्ग का नहीं था। डाक्टर ने रक्त बैंक से रक्त लाने के लिए दो आदमी भेजे थे, किन्तु उनके लौटने में अभी कुछ विलम्ब था। इधर एक-एक पल कीमती था। अधिक विलम्ब होने से ज्ञान का प्रणान्त हो सकता था।

ज्ञान की बगल में एक दूसरा रोगी सो रहा था। देखने में वह शरीर से स्वस्थ दिखाई पड़ रहा था। उसका रक्त भी ज्ञान के वर्ग का था। चौधरी की इच्छा थी कि उसके रक्त से काम चला लिया जाए। वह एक हजार रुपये डाक्टर के हाथों पर रखकर गिड़गिड़ाने लगा, "डाक्टर साहब फिलहाल इस बगल वाले रोगी के रक्त से काम चला लीजिए, बड़ी कृपा होगी।"

"ऐसा नहीं हो सकता, हमें बैंक वाले रक्त की ही बाट देखनी होगी।" डाक्टर ने रुपये लौटाते हुए कहा।

"दो हजार ले लीजिए डाक्टर साहब, किन्तु————"

"यह मुझसे नहीं हो सकेगा।"।

यह कहकर डाक्टर ने ज्ञान की नाड़ी देखी। नाड़ी देखते ही उसके चेहरे पर चिन्ता की रेखाएं उभर आईं। उसके चेहरे को देखकर चौधरी घबरा गया। वह डाक्टर के पैरों पर गिरकर अपने इकलौते बेटे के जीवन की भीख मांगने लगा, "पांच हजार ले लीजिए डाक्टर साहब, किन्तु मेरे बेटे को——।"

"क्षमा कीजिए! मैं आपके बेटे को बचाने के लिए दूसरे के बेटे की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। उसका रक्त लेने से उसकी मृत्यु होने का भय है।"

"लेकिन मैं पांच हजार तो दे रहा हूं।"

"आप पांच हजार नहीं पांच लाख दें किन्तु मैं मनुष्यता का व्यवसाय नहीं कर सकता। मनुष्यता के आगे धन का कोई मूल्य नहीं। आप स्वयं सोचिए एक ओर तो कुछ लोग रोगियों के जीवन को बचाने के लिए अपना रक्त दान करते हैं, दूसरी ओर मैं एक रोगी के जीवन को खतरे में डालकर उसका रक्त लूं, क्या यह उचित है।"

रोगी के लिए एक-एक क्षण कीमती है। रक्त बैंक से रक्त आने की वाट जोहना, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। रक्त के अभाव में रोगी अब और अधिक नहीं जी सकता यह सोचकर कम्पाउण्डर अहमद, जो डाक्टर के पास ही खड़ा था, बोला, "डाक्टर साहब, मेरा रक्त लेकर रोगी के प्राण बचाइए। मुझे विश्वास है कि मेरा रक्त रोगी के रक्त के ही वर्ग का होगा।"

डाक्टर और चौधरी कम्पाउण्डर के मुख की ओर विस्मयपूर्ण दृष्टि से देखने लगे। चौधरी की आंखों में आभार के आंसू उभर आए। कम्पाउण्डर पुनः बोला, "डाक्टर साहब, देखते क्या हो, जल्दी कीजिए।"

डाक्टर ने कम्पाउण्डर श्री अहमद के शरीर से रक्त लेकर ज्ञान के शरीर में चढ़ा दिया। चौधरी ने हजार-हजार रुपयों के नोटों की पांच गड्डियां बैग से निकाल कर अहमद के हाथों पर रख दीं।

"ये रुपये अपने पास रखिए। मैंने किसी लालच से रक्त नहीं दिया है।" अहमद ने रुपये लौटाते हुए गम्भीर शब्दों में कहा, "मेरी दृष्टि में, सामर्थ्य होते हुए सहायता के पात्र की सहायता न करना, मानव धर्म से च्युत होना है। वैसे तो अपने प्राणों को संकट में डालकर भी दूसरों के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, किन्तु जब दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए कोई विशेष तकलीफ न उठानी हो, उस समय तो अवश्य ही दूसरों के प्राणों की रक्षा अथवा सहायता करनी चाहिए।"

जब डाक्टर ज्ञान के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो गया तो उसने चौधरी से कहा, "ईश्वर ने आपके ऊपर बड़ी कृपा की, जो उसने ठीक समय पर अहमद के अन्तराल में बैठकर उससे रक्तदान कराया। यदि पांच मिनट रक्त और न दिया जाता तो आपके बेटे के प्राण बचना असम्भव थे।"

डाक्टर यह कह ही रहा था कि रक्त बैंक से भी रक्त आ गया।

"डाक्टर साहब जब रक्त इतना अमूल्य है तो उसे आप अपने ही अस्पताल में क्यों नहीं रखते? रक्त बैंक पर क्यों निर्भर रहते हैं? रक्त बैंक की निर्भरता आज मेरे बेटे के प्राण ही ले लेती, यदि अहमद भाई जैसे देवता मौके पर उपस्थित न होते।" चौधरी ने डाक्टर साहब से कहा।

"देश में रक्त की इतनी कमी है कि आवश्यक होने पर भी उसे हर अस्पताल में नहीं रखा जा सकता। इस कमी के कारण प्रतिदिन अनेक व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है।"

"यह कमी क्यों है।"

"इसलिए कि हमारे देश में रक्त की जितनी मात्रा की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए पचास लाख व्यक्तियों को नियमित रूप से रक्त देना चाहिए, किन्तु हमारे यहां केवल तीन लाख व्यक्ति ही नियमित रूप से रक्त देते हैं। इन रक्त दाताओं में केवल 15 हजार व्यक्ति ही रक्तदान करने वाले हैं, बाकी सब रक्त बेचने वाले हैं।"

"तो क्या लोग पेट पालने के लिए भी रक्त बेचते हैं?"

"हां, हमारे देश के रक्तदाताओं में 95 प्रतिशत लोग पेशेवर हैं, जो अपना रक्त बेचकर पेट पालते हैं।"

"यह तो हमारे तथा देश के लिए बड़े अपमान की बात है" चौधरी ने खेद प्रकट करते हुए कहा, "जिस प्रकार 15 हजार लोग रक्त दान करते हैं, उसी प्रकार दूसरे लोग क्यों नहीं करते?"

"इसलिए कि अधिकांश लोगों को रक्तदान के बारे में जानकारी नहीं है। जिन्हें जानकारी है उनमें से अधिकांश लोग लापरवाह तथा स्वार्थी हैं। वे रक्त दान के महत्व को नहीं समझते। रक्त दान का अर्थ है—मरते हुए मनुष्यों को बचाना। आप स्वयं सोचें, इससे बड़ा दान या पुण्य और क्या हो सकता है?"

"डाक्टर साहब, वस्तुतः रक्तदान से बड़ा कोई दान पुण्य या महान कार्य नहीं है। इस पुण्य कार्य में मैं भी भागीदार होना चाहता हूं। किन्तु यह बतलाइए कि रक्तदान से स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता?"

"नहीं, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हारी आंखों के सामने अहमद भाई ने तुम्हारे पुत्र के लिए रक्तदान किया और तुमने देखा कि उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। वैसे, निकाले गए रक्त की पूर्ति साधारणतः 48 से 72 घण्टों में हो जाती है। हर स्वस्थ मनुष्य प्रति दो माह में एक बार रक्तदान कर सकता है। वसे बहुत से लोग प्रतिमास रक्तदान करते हैं।"

"यदि ऐसी बात है तो मेरा नाम भी नियमित रक्त दाताओं की सूची में लिख लीजिए तथा फिलहाल तो रक्त ले ही लीजिए। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार श्री अहमद भाई ने अपना रक्तदान करके मेरे लड़के की जान बचाई है उसी प्रकार मैं भी दूसरों की जान बचाऊं।"

डाक्टर ने चौधरी का रक्त ले लिया तथा रक्तदाताओं की सूची में उसका नाम लिख लिया।

चौधरी जब अपने बेटे को लेकर अपने गांव पहुंचा तो उसने लोगों को रक्तदान तथा बैंक में रुपये जमा करने का महत्व समझाया। उसकी प्रेरणा से उसके गांव के आठ युवक नियमित रूप से रक्तदान करने लगे तथा दस व्यक्तियों ने बैंक में खाते खोल दिए। उसने मसूर चनों की बिक्री से प्राप्त हुआ अपना एक लाख रुपये भी बैंक में जमा कर दिए। □

पो० एवनी (झांसी) उ० प्र०—284204

## शिशु एक सुख अनेक

# बंधक श्रम समस्या

—नरेश चन्द्र त्रिपाठी

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा एक जुलाई, 1975 को घोषित 20 सूत्रीय, आर्थिक कार्यक्रम में, 'बंधक को प्रदत्त मजदूरी, चाहे वह देश के किसी भी कोने में हो' गैर कानूनी घोषित की गई थी। 'बंधक श्रम उन्मूलन' कार्यक्रम के अंतर्गत ही, भारत के राष्ट्रपति ने 24 अक्तूबर 1975 को 'बंधुआ श्रम (उन्मूलन)' अध्यादेश, 1975 जारी किया। यह अध्यादेश 25 अक्तूबर 1975 से सारे देश में लागू हुआ। आगे चलकर इस अध्यादेश का स्थान 'बंधुआ श्रम पद्धति (उन्मूलन)' एक्ट ने 9 फरवरी 1976 से ले लिया था।

देश में आपातकाल के दौरान बंधक श्रमिकों की आजादी के लिए राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों में जोरदार पहल सरकार की ओर से की गई। केन्द्र सरकार के निर्देश पर सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका विषय बंधक श्रमिकों की खोज कर उन्हें स्वतंत्र कराया जाना था। 31 जुलाई 1977 को दस राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों में 91,625 बंधक श्रमिकों का पता लगाकर उन्हें स्वतंत्र कराया गया। इस संबंध में केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करने वाले राज्य व केन्द्र शासित क्षेत्र थे—आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, और मिजोरम। शेष राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों ने बंधक श्रम का अस्तित्व न होने की सूचना दी।

बंधक श्रम, श्रमिकों का वह वर्ग है, जिन्होंने अपने मालिकों से ऋण के रूप में एक निश्चित व न्यूनतम धनराशि प्राप्त की है, किन्तु ये श्रमिक परिस्थितियों में इस तरह फंस जाते हैं, कि वे ऋण की अदायगी जन्म भर नहीं कर पाते हैं और ऋण की अदायगी होने तक ऋणदाता के यहां दास की तरह कार्य करते हैं। भारत में बंधक श्रम 'दक्षिण अमरीका' की दास प्रथा से किसी प्रकार कम नहीं है। बंधक श्रमिक ऋण की जो राशि लेते हैं वह राशि 200 रु० से लेकर 800 रु० तक की होती है। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर तथा खोज करके यह पाया कि ग्रामीण श्रमिक ये ऋण प्रायः अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए ही लेते हैं, और ये अनुत्पादक उद्देश्य प्रायः ऋणदाताओं की प्रेरणा का ही परिणाम होते हैं। यदि गांवों के अशिक्षित श्रमिक इन 'अनुत्पादक उद्देश्यों' जैसे—विवाह, मृतक क्रिया, संस्कार, जन्म-मृत्यु पर भोज आदि अवसरों पर गांवों के बड़े किसानों, व उच्च जाति वालों को आमंत्रित नहीं करते, तो समाज में उन्हें और अधिक तिरस्कृत होना पड़ता है। बंधक श्रमिकों की संख्या को बढ़ाने में समाज के सवर्ण तथा सामाजिक कुरीतियां काफी सीमा तक दोषी हैं, इसके अलावा श्रमिकों की व्यक्तिगत कमजोरियां जैसे—कार्य न करना, मदिरापान व अन्य कार्यों पर अपव्यय आदि भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

'बंधक श्रम समस्या' किसी देश या समाज के 'पिछड़ेपन' व 'अविकसित अर्थव्यवस्था' का परिणाम व प्रतीक है। 'बंधक श्रमिकों' की व्यक्तिगत आजादी समाप्त हो जाती है, तथा वे अपने ऋणदाताओं के गुलाम हो जाते हैं। मैंने अपने गांव (उ० प्र०), में तथा आस-पास के अनेकों जिलों, व मध्यप्रदेश के अनेकों जिलों में घूम-घूम कर इस संबंध में बहुत कुछ देखा और पाया कि, इन बंधक श्रमिकों को एक छोटा सा कच्चा मकान ऋणदाता की ओर से दे दिया जाता है, जिसमें उसका पूरा परिवार रहता है और स्वयं मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं। किन्तु वह श्रमिक अपने ऋणदाता के घर में ही रहता है, क्योंकि उसे चौबीसों घंटे, किसी भी तरह का कार्य करने के लिए तैयार रहना है। सामान्यतः ये बंधक श्रमिक 14 से 18 घंटे तक कार्य करते हैं। बदले में उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती, केवल दिन में दो बार खाना दिया जाता है। खाने के लिए जो भी दिया जाता है वह प्रायः गृह सदस्यों का जूठन, बासी बचा हुआ, निम्न किस्म के अनाज से बना अपौष्टिक भोजन होता है। जो बंधक श्रमिक भर पेट भोजन पाते हैं, वे भाग्यशाली हैं। इसके अलावा पुराने तथा फटे कपड़े जो कि घर के स्वामी या अन्य सदस्यों के पहने हुए होते हैं, देकर उन पर कृपा की जाती है। गैर पौष्टिक भोजन और 17-18 घंटे कार्य करके भारत के ये ग्रामीण श्रमिक बहुत कम आयु में ही अकार्यक्षम्य हो जाते हैं। गांवों के बंधक श्रमिकों का दैनिक जीवन देखकर आज भी हम अपने देश की 'पिछड़ी आर्थिक दशा' और सामाजिक पिछड़ेपन की सही तस्वीर देख सकते हैं। शहरों की चकाचौंध व प्रदर्शन इस दशा को नहीं बदल सकती।

बंधक श्रम को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से अनेकों प्रयास किए गए हैं। यद्यपि बंधक श्रमिकों की समस्या पहले जैसी गंभीर

नहीं रही, तो भी अभी तक इन्हें वांछित सफलता नहीं मिल सकती है। आपातकाल के दौरान हजारों बंधक श्रमिकों को मुक्त कराया गया था, यद्यपि कई जगह पता चला है कि इस से कुछ परिस्थितिवश पुनः बड़े किसानों के चंगुल में फंस गए हैं। इस संबंध में कुछ अनुभव कहते है कि कानून को प्रभावी बनाने व उनके ही क्रियान्वयन के लिए बंधक श्रमिकों का संघर्ष आवश्यक है। कानून व्यवस्था तभी सफल होगी जब श्रमिक अपने कानूनी अधिकारों से स्वयं परिचित होकर स्वहितों के लिए 'संघर्ष' करेंगे। लेकिन अब भी अनुभव किया गया है कि ये श्रमिक संघर्ष करने में असमर्थ हैं, क्योंकि ये जिनके विरुद्ध संघर्ष करने जा रहे हैं उन्हीं के हाथों में इनकी रोटी है। बंधक कानूनों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वे बंधुआ मजदूरों के अधिकारों को दिला कर उनके हितों की रक्षा कर सके। सत्ता और पद लोलुपता में मदांध जनप्रतिनिधि व उच्चाधिकारी सामाजिक उत्तरदयित्व को भूल से गए हैं। सरकारी कर्मचारियों का भी एक वर्ग समाज के उच्च व धनी वर्ग का समर्थक है। मध्यप्रदेश सरकार ने देवसर तहसील के बंधक श्रमिकों को स्वतंत्र करके पांच-पांच एकड़ भूमि और बैल, उन्हें आत्मनिर्भरता के लिए दिए। सरकारी तौर पर तो ये बंधक श्रमिक आजाद कर दिए गए लेकिन वास्तव में वे अभी भी भूमिहीन और बंधक हैं। क्योंकि गांव के पटवारी की कृपादृष्टि उन पर नहीं है, और बड़े किसानों का उन भूमि पर अभी भी अवध अधिकार है। अंतर सिर्फ इतना है, कि कुछ बंधक श्रमिक अभी भी बंधक हैं, या कुछ उस भूमि पर बंटाई प्रथा पर खेती करने लगे हैं, और आधा हिस्सा अवैध भू-स्वामियों को दे रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा गांव के पटवारी भी प्राप्त कर रहे हैं।

यद्यपि देश में शिक्षा का प्रसार जोरों से हुआ है, लेकिन अभी व्यवहारिक शिक्षा से समाज का अधिकांश वर्ग अनभिज्ञ है। 'बंधक श्रम समस्या' निश्चित ही हमार सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को प्रकट करती है। इस समस्या के समाधान के लिए कानून-व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने तथा चारित्रिक व नैतिक मूल्यों के विकास की जरूरत है। क्योंकि जब तक शासन तंत्र के अधिकारी अपना चरित्र साफ नहीं रख सकेंगे, तब तक वे प्रशासन को सफलता पूर्वक संचालित नहीं कर पाएंगे। कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने, और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सही ढंग से कार्य ले सकने में, वे तभी सफल होंगे जब वे स्वयं को शासन व समाज में चरित्रवान, अच्छे मानवीय संबंधों का पोषक व दृढ़ संकल्प वाला सिद्ध कर सकें। इस संबंध में हमें ऐसे ईमानदार, चरित्रवान और दृढ़निश्चयी अधिकारियों व कर्मचारियों की आवश्यकता है, जो अपने व्यक्तिगत हितों के पोषण को भूलकर जनसामान्य के हितार्थ, तथा पिछड़ेवर्ग के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए कार्य कर सकें, तभी महात्मा गांधी का रामराज्य का स्वप्न पूरा होगा। □

**व्याख्याता (वाणिज्य),**
**ओ० एफ० के महाविद्यालय,**
**जबलपुर—(म० प्र०)।**

# वृक्ष प्रकृति के सजीव उपहार हैं।

# संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी कुछ विचार

*

*

नरेन्द्र सिन्हा

गत 1975 से हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन की स्थापना मुख्य रूप से इसी के लिए समुचित वातावरण बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इस संस्था के तत्वावधान में अब तक दो सम्मेलन भारत (नागपुर 1975) और मारीशस (1976) में आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें भारत के अतिरिक्त विभिन्न देशों में फैले हिंदी भाषियों और हिंदी प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तीसरा सम्मेलन इसी वर्ष नई दिल्ली में 28 से 30 अक्तूबर तक हुआ।

हिंदी को भारत जैसे विशाल देश की केवल राजभाषा के रूप में ही नहीं विविध भाषा-भाषी देश की संपर्क भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। भले ही अनेक कारणों से इन दो रूपों में यह पूरी तरह प्रतिष्ठित न हो पाई हो। भारत से बाहर भी, वह विभिन्न महाद्वीपों के कई देशों में फैले भारतीय मूल के अधिसंख्यक लोगों की मातृभाषा है। उदाहरण स्वरूप दक्षिण अफ्रीका, मारीशस, फीजी, सूरीनाम तथा अन्य कई देशों में बसे भारतीय मूल के लोग ऐतिहासिक कारणों से उन देशों में गए और बस गए। इनमें से अधिकांश लोगों ने हिंदी को न केवल अपनी मातृभाषा के रूप में जीवित रखा है, बल्कि अपने सामाजिक जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं। मारीशस, फीजी और सूरीनाम जैसे कई देशों में तो साहित्यकार हिंदी में साहित्यसृजन भी करते हैं तथा हिंदी में पत्र-पत्रिकाएं भी प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा अब समस्त विश्व के लगभग 100 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन हो रहा है। विदेशी विद्वानों ने हिंदी में शोधकार्य करके भी इसे श्रीमंडित किया है। हिंदी का साहित्य विश्व की किसी भी अन्य गाथा के साहित्य से कम समृद्ध संपन्न नहीं है। यदि किसी हिंदी साहित्यकार को अब तक नोबेल पुरस्कार जैसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ तो इसमें न हमारे साहित्यकारों का कोई दोष है, न इसका कारण यह है कि हिंदी साहित्य में किसी प्रकार की कोई कमी है। इसके कई अन्य कारण हैं। जिनकी चर्चा यहां अभीष्ट नहीं। वस्तुतः चीनी और अंग्रेजी के [illegible] हिंदी, संभवतः विश्व की तीसरी बड़ी भाषा है। ऐसी समृद्ध-संपन्न भाषा को जो, लोक व्यवहार तथा साहित्य-सृजन की दृष्टि से एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में मान्यता मिलनी ही चाहिए, इसमें दो राय नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल, इसे यह मान्यता प्राप्त होनी ही है।

लेकिन इस समस्या पर विचार करते समय इससे जुड़ा हुआ एक अन्य प्रश्न मन-मस्तिष्क को मथ जाता है—इस निर्णय के लिए उपयुक्त आधार-भूत भूमि तैयार करने का प्रश्न स्पष्ट है, इसके लिए विभिन्न देशों में बसे हिंदी भाषियों और हिंदी प्रेमियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की जरूरत होगी, जिससे विश्व के अनेक देशों में फैल हिंदी प्रेमी हमारे स्वर में स्वर मिला कर संयुक्त राष्ट्रसंघ से हिंदी को मान्यता देने की अपील करें। विश्व हिंदी सम्मेलन की स्थापना मुख्यतः इसी लक्ष्य को ध्यान में रख कर की गई। विश्व हिंदी सम्मेलन के पिछले दो अधिवेशन इस दृष्टि से काफी सफल माने जाएंगे। तृतीय सम्मेलन से व्यापक सहयोग की आशा है।

राष्ट्रसंघ की मान्यता के संदर्भ में एक और समस्या है जिसका निदान अभी से ढूंढ़ने की जरूरत है—संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधि मंडल में ऐसे लोग रखे जाएं जो हिंदी के माध्यम से भारत का पक्ष प्रस्तुत करने में गर्व का अनुभव कर। सारे सरकारी प्रयत्नों के बावजूद, आज भी सरकारी कामकाज में हिंदी की जो असंतोषजनक स्थिति है उसे देखते हुए यह और भी जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हिंदी को मान्यता प्रदान कर दिए जाने के बावजूद भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हिंदी में अपने विचार प्रकट करने में पहल न करें, या ऐसा करने में असमर्थता का अनुभव करें। ऐसा नहीं कि आज भी उस विश्व संस्था में हिंदी में भाषण करने पर कोई रोक हो, भले ही मान्यता से प्राप्त होने वाली सुविधाएं अभी हिंदी को प्राप्त न हों। भूतपूर्व विदेश मंत्री, श्री

अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रसंघ में हिंदी में ही अपने विचार प्रकट किए थे। हिंदी हमारी राजभाषा है, इसलिए वहां हिंदी का उपयोग करने का हमारा अधिकार बनना है, लेकिन या तो हमारे प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हिंदी में साधिकार बोलने में असमर्थ होते हैं या यह अनुभव करते हैं कि हिंदी उनके विचारों को व्यापक रूप में अभिव्यक्ति करने में असमर्थ है। पहली असमर्थता प्रतिनिधि मंडल में उपयुक्त व्यक्तियों को शामिल करके दूर की जा सकती है, तथा दूसरी, जो हिंदी को असमर्थ समझते हैं उनमें यह विश्वास भर कर कि हिंदी का शब्दकोश अब पर्याप्त रूप से संपन्न है, और हिंदी अब तक किसी भी विचार को सफल अभिव्यक्ति देने में सक्षम और समर्थ बन चुकी है। साथ-साथ हिंदी के शब्दकोश को और भी संपन्न बनाने के प्रयास जारी हैं।

विश्व हिंदी सम्मेलन के तीनों अधिवेशनों में विदेशी प्रतिनिधियों की भारी संख्या में उपस्थिति और उनका सक्रिय सहयोग इसका प्रमाण है कि इस अनुष्ठान में उनका समर्थन प्रचुर रूप में प्राप्त हो रहा है, लेकिन यह ध्यातव्य है कि यह सहयोग और समर्थन एकांगी नहीं हो सकता, उनकी भी अपनी समस्याएं हैं जिनके समाधान में उन्हें हमारे समर्थन की अपेक्षा है। यह सहयोग और समर्थन तब तक निरर्थक होगा जब तक स्वयं भारत में ही हिंदी की स्थिति सुदृढ़ न हो। कुछ समय पूर्व राजधानी के एक साप्ताहिक में लब्ध प्रतिष्ठ हिंदी कथाकार, अभिमन्यु अनत की "मारीशस की चिट्ठी" प्रकाशित हुई थी जिसमें लेखक ने मारीशस में हिंदी के विरुद्ध चल रहे एक षड्यंत्र का उल्लेख किया है। यह षड्यन्त्र है हिंदी और भोजपुरी के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न कर इसका लाभ क्रिओली भाषा को देने का। इस मामले में अनत ने भारत के हिंदी समर्थकों से सहयोग की अपेक्षा की है, लेकिन साथ ही चिंता भी प्रकट की है कि स्वयं भारत में ही हिंदी की स्थिति अब तक सुदृढ़ नहीं हो पायी है।

देश में हिंदी की जो स्थिति इस समय है वह किसी से छिपी नहीं है। हिंदी के राजभाषा बन जाने और सही तौर पर राष्ट्रभाषा होने के बावजूद, हिंदी जिन क्षेत्रों की मातृभाषा रही है, उनमें भी, स्थिति सुदृढ़ नहीं है। अंग्रेजी और अंग्रेजियत इस तरह लोगों पर हावी हो रही है कि कार्यालयों और सभा-सोसायटियों में तो अलग, घरों में भी हिंदी की उपेक्षा हो रही है। बच्चे प्रारंभिक अवस्था में ही पब्लिक स्कूलों में भर्ती करा दिए जाते हैं, जहां हिंदी को केवल निरुत्साहित ही नहीं किया जाता, बल्कि कदम-कदम पर इसकी अवमानना की जाती है। अंग्रेजी और अंग्रेजियत का यह विष उन परिवारों में भी प्रवेश कर गया है जो जाहिरी तौर पर हिंदी के समर्थक हैं, सभा-सोसायटियों में हिंदी की वकालत करते हैं। इस स्थिति से उबरने के लिए कोई ऐसी राह निकालना जरूरी है जिससे हम भारत के हिंदी भाषी, मारीशस और फीजी जैसे देशों में भारतीय मूल के लोगों से प्रेरणा ग्रहण कर सकें, जिन्होंने भारत से इतनी दूर रह कर भी हिंदी और भारतीय संस्कृति को अपने सीने से चिपका कर रखा है।

जहां तक दक्षिण की बात है, हिंदी की स्थिति वास्तव में उतनी बुरी नहीं है जितनी बताई जाती है। कहा जाता है, तमिलनाडु में हिंदी का विरोध सबसे अधिक है, लेकिन यह विरोध सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार-सभा जैसी संस्थाएं, जिन्होंने स्वतन्त्रता-संग्राम के दिनों से ही हिंदी प्रचार को एक राष्ट्रीय कार्य समझकर दक्षिण में अत्यन्त निष्ठापूर्वक इसका प्रचार किया है, आज भी लगन से काम कर रही है और उनके निर्देशन में अधिकाधिक दक्षिणवासी हिंदी सीख रहे हैं—आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल सभी राज्यों में राजनीतिक स्तर पर जो लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं, वे भी, मन ही मन यह समझते हैं केवल हिंदी ही ऐसी भाषा है जो संपर्क भाषा की भूमिका बखूबी निभा सकती है। वे अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भारत सरकार में अंग्रेजी का वर्चस्व सदा नहीं बना रह सकता, और यदि उन्हें केन्द्रीय सरकार में नौकरी करनी है तो उनके लिए हिंदी सीखना जरूरी है। हिंदी के साहित्य का भी दक्षिण की भाषा में अनुवाद हो रहा है, हिंदी की फिल्में तो हिंदी को लोकप्रिय बना रही हैं।

ईमानदारी की बात तो यह है कि कोई चूक हुई है तो हिंदी भाषियों की ओर से हुई है। भाषा की समस्या हल करने तथा भावात्मक एकता को सुदृढ़ करने के लिए देश की शिक्षा संस्थाओं में त्रिभाषा फार्मूला अपनी कमियों के बावजूद बड़ा उपयोगी था और अब भी है। इसमें भावना यह थी कि उत्तर के शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा के अलावा दक्षिण की कोई एक भाषा सीखें जब कि दक्षिण में इस पर अमल हुआ, उत्तरी राज्यों की माध्यमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं में शायद ही कोई ऐसी संस्था हो जिसने दक्षिण की किसी भी भाषा की पढ़ाई शुरु की हो। ऐसी स्थिति में, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब हम उनकी भाषाएं नहीं सीखते तो वे हमारी भाषा क्यों सीखें? इससे राजनीतिकों को अपना उल्लू सीधा करने के लिए हथकंडा मिलना ही था, और वे इसे प्राप्त कर हिंदी-विरोधी भावना उभाड़ भी रहे हैं। दक्षिण के प्रकाशक हिंदी का साहित्य-पर्याप्त रूप में उपलब्ध कर रहे हैं, लेकिन हिंदी के बहुत कम प्रकाशक तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम का साहित्य हिंदी में उपलब्ध कर रहे हैं। ऐसे हिंदी प्रकाशक उंगली पर गिने जा सकते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को मान्यता दिलाने का प्रश्न भी देश में हिंदी की स्थिति को सुदृढ़ बनाने से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के प्रयत्नों में और तेजी लाना अपेक्षित है। □

**[गगनांचल से साभार]**

# पहला सुख निरोगी काया

# नीम : ग्रामीणों का हकीम *

डा० भैरुंलाल गर्ग

प्राय: लोग अपने बागान] में आम, अमरूद, केले, पपीते या जामुन का वृक्ष लगाते हैं यह स्वाभाविक भी है। किन्तु इन फलदार वृक्षों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जो बहूपयोगी हैं, नीम भी एक ऐसा ही वृक्ष है। नीम की पत्तियां अथवा डालियों का स्वाद भले ही कड़वा हो किन्तु इनका उपयोग बड़ा ही मधुर फलदायक है। यही कारण है कि हमारे गांवों में प्राय: हर घर में एक नीम का वृक्ष अवश्य मिलेगा। अन्यथा घरों में बबूल या पीपल का वृक्ष क्यों नहीं लगाया जाता। उद्देश्य केवल छाया का ही नहीं है किन्तु नीम के वृक्ष में ऐसे कई गुण हैं जो अन्य वृक्षों में नहीं।

नीम का वृक्ष साधारणतया सभी प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। इसके लिए पानी की भी विशेष आवश्यकता नहीं होती। वर्षा ऋतु में कहीं भी गुठलियां डाल दीजिए, नीम का पौधा उग जाएगा। फिर उसे अपनी इच्छित जगह पर रोप दीजिए। थोड़ा बड़े होने तक उसे पानी देते रहिए। बाद में वह स्वत: बढ़ता चला जाएगा। हमारे देश में नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं।

हमारे देश में नीम के वृक्षों से जो निंबोलियां इकट्ठी होती हैं, उनसे नीम के तेल की उपलब्धि केवल 30,000 टन के लगभग है। देश में अखाद्य तिलहनों की सभी अनुमानित सम्पत्ति नीम का आधा हिस्सा है। नीम की उपयोगिता का आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। नीम से 28 करोड़ रुपये कीमत का 21 लाख टन तेल प्राप्त किया जा सकता है।

## नीम से उपचार

प्राचीन काल से ही नीम का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में किया जाता रहा है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों से यह प्रमाणित कर दिया है कि नीम के तेल से पेट्रोलियम पदार्थ बनाए जा सकते हैं, मधुमेह जैसी बीमारी के इलाज में नीम के तेल से उत्साहजनक परिणाम निकल चुका है।

आयुर्वेद में नीम का हर अंग गुणकारी बताया गया है। नीम के पत्तों का रस रक्त साफ करता है। दाद, खाज, ब्लड प्रेशर में प्रात: 25 ग्राम नीम की पत्ती का रस लेना बड़ा लाभदायक है। नीम के पत्तों का पानी निकालकर उसमें नमक मिलाकर गर्म करके कान में डालने से यदि अन्दर कृमि हों तो बाहर आ जाते हैं। पानी गर्म करते समय नीम की पत्तियां उबालकर ठण्डा करके नित्य प्रात: नहाने से खुजली दूर हो जाती है। नीम के पुराने पत्तों को पीसकर चार–पांच बूंद पानी डालकर फोड़े–फुंसियों पर लगाने से वे शीघ्र ठीक हो जाते हैं।

नीम का तेल विभिन्न प्रकार के चर्म-रोगों में लाभदायक है। नीम की टहनी से दातुन करने से दांतों का हिलना बन्द हो जाता है और वे मजबूत हो जाते हैं। टहनियों और पत्तियों से बनाया गया मंजन भी बड़ा उपयोगी है। कच्ची निंबौलियां भी गुण–कारी होती है, इसका दूध आंखों में डालने से रतौंधी आना दूर हो जाता है।

## नीम के विविध प्रयोग

भारत, जर्मनी, अमरीका आदि देशों में किए गए प्रयोगों से पता चलता है कि नीम द्वारा उपचारित पौधे कीटनाशकों द्वारा उपचारित पौधों जैसी सुरक्षा पा सकते हैं। नाशिकीटों को उपचारित पौधों पर पालने से ज्ञात हुआ कि ऐसे कीड़ों की खाने की क्षमता बहुत घट जाती है, वृद्धि व विकास कम होता है तथा प्रजनन क्षमता पर विपरीत असर पड़ता है।

नीम की खली खाद के रूप में बड़ी लाभदायक सिद्ध होती है। नीम की खली का धान के खेत में प्रयोग करने से 25 से 50 प्रतिशत यूरिया खाद की बचत होती है एवं नीम-खली के प्रयोग से जमीन की उर्वरता बढ़ने के साथ फसल में वृद्धि होती है और पैदावार के प्रोटीन तत्व और भी समृद्ध होते हैं।

नीम की पत्तियां प्राचीन काल से भंडारण में प्रयुक्त होती आई हैं। फलों की गुठली को सुखाकर पीसकर निलम्बन घोल फसल पर छिड़का जा सकता है। नीम का तेल भी शक्तिशाली फसल–संरक्षण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

नीम के तेल का उपयोग साबुन, लुब्रीकेंट आदि बनाने में किया जा सकता है। नीम की गुठलियों से कई प्रकार की खाद्य वस्तुएं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है तैयार की जा सकती है। मुर्गियों के चारे के लिए नीम की गुठलियों को अधिक उपयोगी बताया गया है।

पर्यावरण –प्रदूषण रोकने में तो नीम का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार नीम एक ऐसा बहुगुणी वृक्ष है जिसका उपयोग बड़ा आसान और सस्ता है। किन्तु खेद का विषय है कि ऐसे बहु–

उद्देशीय वृक्ष की उपयोगिता को हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं ।

### नीम से रोजगार

आज भारत के अधिकांश ग्रामीण भागों में लोग शहर की ओर भाग रहे हैं । गांव का भोला-भाला इन्सान यह नहीं समझ पाता कि उनके गांव में रोजगार की कितनी बड़ी निधि उनकी बंजर भूमि में छिपी है। यदि इन पर थोड़ा परिश्रम किया जाए तो बेशुमार नीम के वृक्ष उगाए जा सकते हैं, जिससे गांव में बढ़ती बेरोजगारी के विस्फोट की समस्या ही नहीं आएगी ।

साधारणतः नीम का वृक्ष दस वर्ष की अवस्था से फल देना आरम्भ कर देता है । एक पेड़ से लगभग 30 से 50 किलो निम्बोली प्रति वर्ष प्राप्त की जा सकती है । इतने फल से करीब 6 किलो नीम का तेल तथा 24 किलो खली प्राप्त की जा सकती है ।

अखाद्य तिलहनों को एकत्र कर उनसे तेल निकालना ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ा रोजगार हो सकता है । अखाद्य तिलहनों में नीम, महुआ, साल, करंजा कुसुम आदि हैं । इनमें विकास की अपरिमित संभावनाएं हैं ।

नीम के तेल का उपयोग कर साबुन लुब्रिकेंट एवं कीटनाशक दवाओं को बनाने के उद्योग स्थापित कर गांवों में पूर्ण-कालिक रोजगार की सम्भावनाएं खोजी जा सकती हैं ।

गांवों में निंबौलियां इकट्ठा करने, गूदा निकालने, सुखाने, छिलका उतारने, तेल निकालने की प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किया जा सकता है । नीम के तेल से साबुन बनाने जैसे कुटीर उद्योग भी गांवों में स्थापित किए जा सकते हैं ।

इस समय खाद्य तेलों का उत्पादन 25 लाख टन के लगभग है जो इस घनी आबादी वाले देश के लिए बहुत कम है। इसमें भी उपलब्ध तेल का काफी भाग साबुन बनाने एवं अन्य औद्योगिक कामों में खर्च हो जाता है ।

नीम वृक्ष का संरक्षण और उसके उत्पादों का उपयोग एक ऐसा बहुआयामी स्रोत है जिसमें सुखद भविष्य की बहुत सी सम्भावनाएं छिपी हैं ।

इसलिए अभी सबसे अधिक जरूरत है कि गांव-गांव में नीम के सघन वृक्ष लगाए जाएं । इससे वानस्पतिक तेल की सम्पदा में वृद्धि होगी, ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और एक अछूते और अपेक्षित स्रोत का सदुपयोग होगा । □

जेल रोड,
झालावाड़,
326001 (राजस्थान)

# गुणकारी तुलसी *

हेमन्त कुमार पाराशर

धार्मिक ग्रन्थों में तुलसी का बड़ा ही महत्व प्रतिपादित किया गया है। भारतीय जन जीवन में इसका इतना महत्व है कि यह घर-घर पूजी जाती है । कोई भी पूजा तुलसी बिना अधूरी है । तुलसी का औषध रूप में भी बड़ा महत्व है । जिस प्रकार एलोपैथी में एन्टीबायोटिक्स दवाएं काम करती हैं, उसी प्रकार आयुर्वेद में तुलसी । इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों में घरेलू उपचार के रूप में किया जाता है । तुलसी को विभिन्न तरीकों से औषधियों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।

—तुलसी की दो-चार पत्तियां काली मिर्च के साथ घोंटकर गर्मी के दिनों में खाई जाएं अथवा सर्दी के दिनों में उसे काली मिर्च के साथ उबाल कर लिया जाए तो मलेरिया रोग दूर हो जाता है तथा दूसरे प्रकार के बुखार भी जाते रहते हैं ।

—मधुमेह की बीमारी में तुलसी, नीम और गुडमार के दस-दस पत्ते प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करने से स्थाई आराम मिलता है ।

—तुलसी की पत्तियों को नीबू के रस के साथ सेवन करने से चर्म रोग दूर होते हैं । चेहरे पर पड़े काले धब्बे दूर हो जाते हैं और सौंदर्य वृद्धि होती है ।

—तुलसी के काढ़े में थोड़ी सी मिश्री और गाय का दूध मिलाकर पीने से थकावट दूर होती है साथ ही सर्दी, खांसी मिटती है ।

—बच्चों के जिगर की बीमारी में तुलसी की पत्तियों का रस निकालकर ग्वारपाठे के रस में मिलाकर सेवन कराने से रोगी को आराम मिलता है ।

—यदि पेट में कीड़े की बीमारी की शिकायत हो तो तुलसी के 10–15 पत्ते गुड़ के साथ खिलाने चाहिए ।

—औरतों के लिए प्रसूति ज्वर में तुलसी का सेवन बड़ा ही लाभदायक होता है ।

—यदि दांत में दर्द हो तो तुलसी के पत्तों का रस निकाल लें । इस रस में काली मिर्च पीसकर मिला लें और उसकी गोलियों को कुछ देर दांतों के बीच में दबाकर रखें—दर्द से आराम मिलेगा ।

(शेष पृष्ठ 31 पर)

# केन्द्र के समाचार

## महिलाओं के लिए रोजगार

हथकरघा, शक्तिचालित करघा और निर्माण उद्योगों में महिलाओं के रोजगार का गहन रूप से अध्ययन करने तथा महिलाओं के रोजगार के आंकड़े एकत्रित करने के लिए पांच सदस्यों के दो अलग-अलग दल गठित किए गए हैं। समान वेतन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के रोजगार के लिए स्थापित राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समिति ने इन दलों के गठन का सुझाव दिया था।

हथकरघा, शक्ति चालित करघा और निर्माण उद्योगों में कार्यरत महिलाओं के लिए गठित दल ऐसे क्षेत्रों में उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की दृष्टि से उनकी समस्याओं की समीक्षा करेगा तथा उचित उपाय सुझाएगा। इस दल की सदस्याएं हैं : श्रीमती देवकी जैन, श्रीमती इला आर० भट्ट, श्रीमती पार्वती कृष्णन, कुमारी एवलिन डिसूजा तथा श्रीमती वगाबुद्दीन अहमद।

दूसरा दल उन क्षेत्रों को, जिनमें महिला श्रमिकों के रोजगार में गिरावट की प्रवृत्ति देखने में आई है, ध्यान में रखते हुए महिला श्रमिकों के रोजगार संबंधी आंकड़ों की समीक्षा करेगा। यह इलैक्ट्रोनिक, खान-पान व्यवस्था और होटल प्रबन्ध में महिलाओं के रोजगार की वर्तमान संभावनाओं का पता लगाएगा तथा आगे कार्रवाई करने पर विचार करेगा।

इस दल की सदस्याएं हैं—श्रीमती थामाराजाक्षी, श्रीमती देवकी जैन, कुमारी शालिनी नरसिंहन, डा० एस० विजयलक्ष्मी तथा श्रीमती सरोजिनी वरदप्पन।

## ग्रामीण जल सप्लाई के लिए राज्यों को सहायता

भारत सरकार ने निर्माण एवं आवास मंत्रालय को सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों से अधिक कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के समस्याग्रस्त गांवों में जल सप्लाई योजनाओं पर अमल करने के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में 75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की है। यह अनुदान चालू वित्त वर्ष के दौरान एक या दो किस्तों में वितरित किया जाएगा।

राज्यों से, पहले ही से चुने गए समस्याग्रस्त गांवों के लिए विशेष परियोजनाएं तैयार करने को कहा जाएगा। अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवास एवं निर्माण मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि नई परियोजनाओं पर 130 करोड़ रुपये खर्च होंगे लेकिन चालू वर्ष में वास्तविक खर्च 75 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर होने वाला अतिरिक्त खर्च वर्ष 1984–85 के लिए निर्धारित सामान्य कार्यक्रम कोष से पूरा किया जाएगा।

आवास एवं निर्माण मंत्रालय में सचिव की अध्यक्षता में एक सरकारी समिति गठित की जाएगी जो राज्यों के कार्यों का मूल्यांकन करेगी तथा कार्यों के आवश्यकतानुसार राशि जारी करेगी। समिति परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर भी नजर रखेगी।

समस्याग्रस्त गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराना, बीस सूत्री कार्यक्रम का एक अंग है। पहली अप्रैल, 1980 तक देश में 2.31 लाख समस्याग्रस्त गांव थे तथा छठी योजना के अंत तक इन सभी गांवों में पीने का पानी का कम से कम एक स्रोत जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पूरे वर्ष पानी मिलता रहे। अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के इलाकों में पीने का पानी उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाएगी।

राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 1407 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम पर 1980–81 में कुल 308.41 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25978 समस्याग्रस्त गांवों को लिया गया था। वर्ष 1981–82 में 29837 गांवों पर 370.27 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। वर्ष 1982–83 के लिए संशोधित परिव्यय 410.67 करोड़ रुपये रखा गया है तथा इस अवधि के दौरान 44208 गांवों को शामिल किया जाएगा। वर्ष 1983–84 के लिए 518.01 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई है तथा इस दौरान 48846 गांवों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है।

## छठी योजना में 1350 प्राथमिक ग्रामीण मंडियां

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1350 प्राथमिक ग्रामीण मंडियों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता देने की योजना बनाई गई है। योजना के प्रथम तीन वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय 1311 प्राथमिक ग्रामीण मंडियों के लिए 21.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे चुका है।

किसानों की सहायता के लिए, विशेषत: ऐसे छोटे व सीमान्त किसानों के लिए, जोकि अपने बिक्री योग्य छोटे-मोटे उत्पादों की बिक्री तथा अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद के लिए समीपवर्ती हाटों जैसी ग्रामीण मंडियों पर निर्भर करते हैं, प्राथमिक ग्रामीण मंडियों तथा पिछड़े इलाकों में थोक मंडियों के

विकास की योजना 1977–78 से चल रही है। इस योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के द्वारा विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं जुटाने हेतु अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये प्रति प्राथमिक ग्रामीण मंडी तथा 5 लाख रुपये प्रति थोक मंडी के हिसाब से सहायता अनुदान के रूप में दिए जाते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मार्च, 1983 तक 1884 प्राथमिक ग्रामीण मंडियों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों को 20 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि जारी की।

## कुष्ठ रोग उन्मूलन हेतु अतिरिक्त राशि

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम को स्वास्थ्य योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है। स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसरण में इस उद्देश्य के लिए छठी योजना को शेष अवधि के लिए 50 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार इस कार्यक्रम के लिए कुल मिलाकर 90 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है।

वर्ष 1982–83 में पांच लाख से अधिक कुष्ठ रोगियों का पता लगाया गया है। इसमें से 4.86 लाख रोगियों का इलाज किया जा रहा है। ऐसा कुष्ठ रोग की वर्तमान प्रचलित दर, संक्रमण दर और अंगहीनता दर में 50 प्रतिशत कमी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किया जा रहा है। वर्ष 1980 से 1983 के दौरान कुष्ठ रोग सर्वेक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इस अवधि के दौरान इस प्रकार के 365 केन्द्रों की स्थापना की जा रही है जबकि वर्ष 1980–85 के दौरान 200 केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। छठी योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 177 शहरी कुष्ठ रोग केन्द्रों, 53 अस्थायी चिकित्सालय वार्डों और 63 जिला कुष्ठ रोग इकाइयों की स्थापना की गई है जबकि समूची छठी योजनावधि के दौरान 50 शहरी कुष्ठ रोग केन्द्रों, 50 अस्थायी चिकित्सालय वार्डों और 50 जिला कुष्ठ रोग इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

विश्व के अनुमानतः एक करोड़ 20 लाख कुष्ठ रोगियों में से लगभग 32 लाख कुष्ठ रोगी भारत में हैं। भारत में लगभग 40 करोड़ जनता ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां कुष्ठ रोग की प्रचलित दर 5 अथवा इससे अधिक प्रति हजार व्यक्ति है।

सरकार 20वीं शताब्दी तक कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसरण में 1954–55 में आरम्भ किए गए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदल कर राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन आयोग की स्थापना की गई है। आयोग के अन्य सदस्यों में वित्त, रसायन और उर्वरक, योजना और शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री शामिल हैं। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को इस आयोग के सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया है। इन सभी राज्यों में कुष्ठ रोग की प्रचलित दर सर्वाधिक है। □

---

**गुणकारी तुलसी – – –**

**पृष्ठ 29 का शेषांश**

—तुलसी का तेल फोड़े-फुंसी एवं खुजली आदि के लिए आराम दायक होता है। यहां तक कि इसका तेल पीब देने वाली भारी घाव को भी अच्छा कर देता है।

—तुलसी का रस दाद पर लगाकर मलने से दाद ठीक हो जाता है।

—बेहोशी की हालत में तुलसी के पत्तों का रस में सेंधा नमक मिलाकर दो बूंद नाक में डालने से आराम मिलता है।

—उल्टी की अवस्था में तुलसी के रस में पोदीना तथा सौंफ का अर्क मिलाकर पिलाने से शीघ्र आराम मिलता है।

—कान का दर्द होने पर तुलसी के पत्तों के रस में कपूर, मिलाकर इसकी कान में दो बूंद डालने से आराम मिलता है।

—तुलसी के पत्तों का सेंधा नमक डालकर बनाए हुए काढ़े का सेवन करने से पेट के दर्द वायु विकार एवं दमे की बीमारियों में आराम मिलता है।

—तुलसी की पत्तियों का रस निकाल कर व उसमें अदरक का रस बराबर मात्रा में मिलाकर पीस कर इस मिश्रण को यदि ललाट पर लेप किया जाए तो सिर दर्द में आराम मिलता है।

—जले हुए भाग पर तुलसी के पत्तों का रस और नारियल का तेल मिलाकर लगाने से जले हुए भाग को ठण्डक मिलती है।

—रक्त स्राव होने या चक्कर आने की अवस्था में तुलसी के रस को शहद में मिलाकर पिलाने से रोगी को आराम मिलता है। □

द्वारा श्री राजबिहारी मिश्रा
1-टीचर्स कालोनी, शुमानपुरा
कोटा (राजस्थान)
324007।

# युवकों ने गांव की काया पलटी

जलियांखुर्द एक छोटे से गांव का नाम है जो पंजाब में रोपड़ शहर से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । किन्तु वर्षा के मौसम में यह गांव ऐसा हो जाता है जैसे कि यह किसी दुर्गम पहाड़ी इलाके में स्थित हो । इसका कारण यह है कि यह ऐसी भूमि पर स्थित है जो चारों ओर से बरसाती नालों से घिरी हुई है । अतः बरसात में इस गांव तथा आठ अन्य गांवों के आस-पास बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होकर इन्हें एक टापू में बदल देती है । बाकी संसार से इसका सबंध बिल्कुल टूट जाता है और दुर्भाग्य से ऐसे में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो डाक्टरी सहायता प्राप्त होने की कोई आशा ही नहीं होती ।

जलियांखुर्द तथा इसके आस-पास के गांवों में बच्चों को पढ़ाने के समय बाढ़ आती तो वे उस समय के दौरान पढ़ाई नहीं कर पाते थे । किन्तु अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं । इस परिवर्तन के पीछे है गांव की युवा शक्ति जिसने अपनी समस्या के हल के लिए सरकार की सहायता की प्रतीक्षा नहीं की ।

गांव के युवकों ने इस चुनौती का सामना करने के लिए एक नौजवान सुधार सभा बनाई । पहली आवश्यकता थी एक हाई स्कूल की। सभा जिला अधिकारियों के पास गई और उनको एक उच्चतर विद्यालय आरंभ करने की आवश्यकता का बोध कराया । उनके इस उत्साह को देखते हुए सरकार ने सभा को एक हाई स्कूल बनवाने के लिए 20,000 रुपये तथा एक प्राथमिक विद्यालय हेतु 10,000 रुपये प्रदान किए । नौजवानों ने अपने साथी ग्रामवासियों से 60,000 रुपये एकत्रित किये तथा अपने हाई स्कूल के लिए एक सुन्दर इमारत का निर्माण किया । अब बच्चों को वर्षा के कारण न तो शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है और न ही उन्हें पानी से भरे रास्ते पार कर विद्यालय जाना पड़ता है ।

सुधार सभा के नौजवानों ने यहीं अपना कार्य समाप्त नहीं कर दिया । उन्होंने अपने गांव के सर्वांगीण विकास का एक कार्यक्रम तैयार किया । उन्होंने इसे एक "बचत ग्राम", एक "रेड क्रास ग्राम" तथा एक "नियोजित परिवार ग्राम", घोषित कर दिया । इन नौजवानों के प्रयत्नों के फलस्वरूप जलियां खुर्द के 405 ग्रामवासियों में से प्रत्येक अब एक लघु बचत खाता खोलने की जल्दी में है तथा रेड क्रास सोसाइटी का एक रुपये वाला सदस्य भी बन रहा है ।

सभा पहले ही गांव के 70 प्रतिशत समर्थ दम्पत्तियों को परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरित करने में सफल हो चुकी है तथा शेष 30 प्रतिशत को शीघ्र ही इसके अन्तर्गत ले जाने की आशा करती है ।

## ग्रामीण बालाओं को प्रशिक्षण

नौजवान सभा ने केन्द्र सरकार के अनाज बचाओ अभियान अधिकारी से सम्पर्क किया तथा 21 दिवसीय एक प्रशिक्षण शिविर लगाया । प्रशिक्षणार्थियों ने अपने गांव तथा आस-पास के गांवों में कीटों के विरुद्ध अनाज के भंडारों को संसाधित किया तथा खेतों तथा घरों में कीटों के नाश का एक बड़ा अभियान चलाया ।

उन्होंने 42 युवा ग्रामीण बालाओं को अनाजों के संसाधन तथा भंडारण के लिए प्रशिक्षित किया तथा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त तथा उपलब्ध कराई गई धातु भंडारण पेटियों को बिकवाने का भी प्रबन्ध किया ।

आम तौर से सरकारी ऐजेंसियां ही लोगों को विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए प्रेरित करने का प्रयास करती हैं । परन्तु, जलियां खुर्द में इसका ठीक उल्टा हुआ है । यहां गांव के युवकों द्वारा की गई पहल ने जिला प्रशासन को आगे आने के लिए प्रेरित किया । इन युवाओं ने गांव की गलियों में ईंटें बिछाने, ग्रामीणों के तथा उनके पशुओं के लिए औषधालय बनवाने और जब तक पक्के पुल बनाने के लिए पूरे कोष उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक के लिए नालों पर अस्थायी पुल बनवाने के लिए एक योजना तैयार की है ।

जलियां खुर्द अब एक टापू पर बसा हुआ गांव नहीं रह गया है । अब यह नवीन आशाओं से लहलहाता पूर्णतया परवर्तित ग्राम है । इसका कारण एक चुनौती है जिसे इस ग्राम के युवाओं ने स्वयं उत्पन्न किया और जिसे उन्होंने स्वयं स्वीकार किया । □

खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रशिक्षण

सम्पूर्ण बाल विकास सेवाओं का उद्देश्य बच्चों के पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य की देखभाल और 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती अथवा छोटे शिशुओं की माताओं की देखभाल बच्चों की अनौपचारिक पाठशाला पूर्व शिक्षा और पौष्टिक आहार और स्त्रियों को स्वास्थ्य शिक्षा देना है ताकि परियोजना क्षेत्र का हरेक बच्चा जीने का सुअवसर पा सके और समाज का उपयोगी सदस्य बन सके। इन परियोजनाओं को शहरी बस्तियों और पिछड़े ग्रामीण आदिवासी इलाकों के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है।

आपरेशन फलड परियोजना के अन्तर्गत देश में पशु स्वास्थ्य सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, संकरण कार्य तथा अधिक दुग्ध उत्पादन आदि अनेक महत्वपूर्ण सफल कार्य चलाए जा रहे हैं।

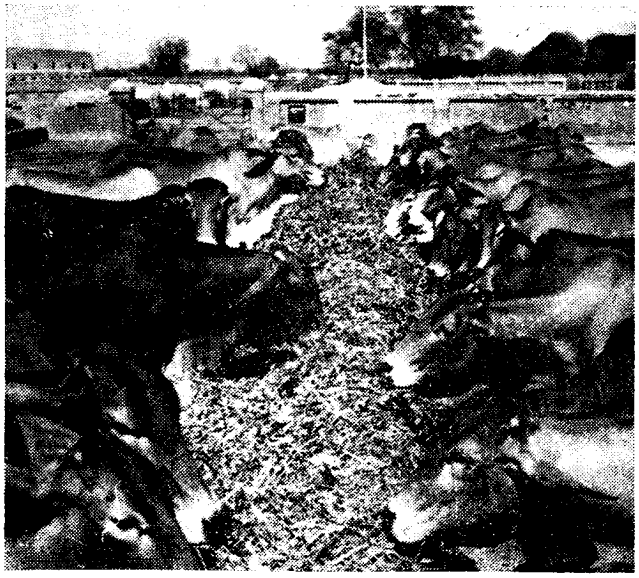

डेयरी विकास में दुधारु पशुओं का व्यापक योगदान

आंगनवाड़ी में बच्चों को पोषाहार

RN/708/57
P & T Regd. No. D(DN) 98
Licenced under U (DN) 55
to post without re-payment at Civil Lines Post Office, Delhi





निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा
प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।